कानपुर नगर निगम

नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील, कानपुर स्थित सदन सभागार में दिनांक 26.08.2023 को स्थगित होकर दिनांक 09.10.2023 दिन सोमवार को सम्पन्न हुई, मा0 सदन की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक– 26.08.2023 दिन शनिवार को पूर्वान्ह : 01.00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सदन सभागार में आहूत मा0 सदन की बैठक में उपस्थिति।

		श्री मती प्रमिला पाण्डेय	मा0 महापौर
1	1	श्री विकास साहू	पार्षद / सदस्य
2	2	श्रीमती कल्पना	पार्षद / सदस्य
3	3	श्री इशरत अली	पार्षद / सदस्य
4	4	श्री अंकित मौर्या	पार्षद / सदस्य
5	5	श्री आलोक पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
6	6	श्रीमती गुडिया	पार्षद / सदस्य
7	8	श्रीमती मन्जू कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
8	9	श्रीमती कविता	पार्षद / सदस्य
9	10	सुश्री लक्ष्मी कोरी	पार्षद / सदस्य
10	11	श्रीमती विजय लक्ष्मी यादव	पार्षद / सदस्य
11	12	श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद / सदस्य
12	13	श्री वीरेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य
13	14	श्रीमती शालू	पार्षद / सदस्य
14	15	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य
15	16	श्रीमती विद्या देवी	पार्षद / सदस्य
16	17	श्रीमती नीलम बाथम	पार्षद / सदस्य
17	18	श्रीमती आरती गौतम	पार्षद / सदस्य
18	19	श्रीमती ज्योति पासवान	पार्षद / सदस्य
19	20	श्री नीरज कुमार	पार्षद / सदस्य
20	21	श्री धीरेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
21	22	श्री शुभम वर्मा	पार्षद / सदस्य
22	23	श्री राम नारायण	पार्षद / सदस्य

23	24	श्री वेद प्रकाश	पार्षद / सदस्य
24	25	श्री नीरज सिंह	पार्षद / सदस्य
25	26	श्री नरोत्तम कुमार	पार्षद / सदस्य
26	27	श्री सुनील कुमार	पार्षद / सदस्य
27	28	श्री अशोक कुमार	पार्षद / सदस्य
28	29	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
29	30	श्री पवन कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
30	31	श्रीमती किरन	पार्षद / सदस्य
31	32	श्री आकर्ष बाजपेयी	पार्षद / सदस्य
32	34	श्री नीरज कुमार गुप्ता	पार्षद / सदस्य
33	36	श्रीमती मन्जू पाल	पार्षद / सदस्य
34	37	श्री पवन गुप्ता	पार्षद / सदस्य
35	38	श्री हरी स्वरूप तिवारी	पार्षद / सदस्य
36	39	श्री मनीष्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
37	40	श्री महेन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
38	41	श्रीमती दीप्ती तिवारी	पार्षद / सदस्य
39	42	श्री जीतेन्द्र बाजपेयी	पार्षद / सदस्य
40	43	श्री राज किशोर यादव	पार्षद / सदस्य
41	44	श्रीमती कुन्ती	पार्षद / सदस्य
42	45	श्रीमती रेनू अर्पित यादव	पार्षद / सदस्य
43	46	श्रीमती क्षमा शुक्ला	पार्षद / सदस्य
44	47	श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
45	48	श्रीमती सरोज चड्ढा	पार्षद / सदस्य
46	49	श्री विवके शर्मा	पार्षद / सदस्य
47	50	श्रीमती अनुप्रिया दुबे	पार्षद / सदस्य

48	51	श्री सुधीर यादव	पार्षद / सदस्य
49	52	श्री धीरन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
50	53	श्रीमती नित्या बाजपेयी	पार्षद / सदस्य
51	54	श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद / सदस्य
52	55	श्रीमती अन्जुली दीक्षित	पार्षद / सदस्य
53	56	श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
54	57	श्रीमती आरती त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
55	58	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
56	59	श्री गोविन्द मोहन शुक्ला	पार्षद / सदस्य
57	60	श्रीमती शुभा शुक्ला	पार्षद / सदस्य
58	61	श्री अरूण कुमार गर्ग	पार्षद / सदस्य
59	62	श्री भवानी शंकर राय	पार्षद / सदस्य
60	63	श्रीमती स्वेता गुप्ता	पार्षद / सदस्य
61	64	श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
62	65	श्री योगेन्द्र शर्मा	पार्षद / सदस्य
63	66	श्री अभिनव शुक्ला	पार्षद / सदस्य
64	67	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
65	68	श्रीमती अजरा बेगम	पार्षद / सदस्य
66	69	श्री अविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
67	70	श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
68	71	श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
69	72	श्रीमती वन्दना शर्मा	पार्षद / सदस्य
70	73	श्री नूरेन अहमद	पार्षद / सदस्य
71	74	श्रीमती नीलम शुक्ला	पार्षद / सदस्य
72	75	मोहम्मद उमर	पार्षद / सदस्य

73	76	श्री कौशिक बाजपेई	पार्षद / सदस्य
74	77	श्री अखिलेश कुमार बाजपेई	पार्षद / सदस्य
75	78	श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
76	79	श्री विकास जायसवाल	पार्षद / सदस्य
77	80	श्रीमती मधु यादव	पार्षद / सदस्य
78	81	श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य
79	82	श्रीमती रिचा द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
80	83	फरहा नाज	पार्षद / सदस्य
81	84	श्री अमित जायसवाल	पार्षद / सदस्य
82	85	श्री अमनदीप सिंह	पार्षद / सदस्य
83	86	श्री कमलेश त्रिवेदी उर्फ दद्दा	पार्षद / सदस्य
84	87	श्री सतीश कुमार यादव	पार्षद / सदस्य
85	88	श्रीमती कंचन शुक्ला	पार्षद / सदस्य
86	89	श्री सुशील तिवारी	पार्षद / सदस्य
87	90	श्री आदर्श गुप्ता	पार्षद / सदस्य
88	91	श्री विनोद गुप्ता	पार्षद / सदस्य
89	92	श्री अवधेष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
90	93	श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
91	94	सय्यद अनवर अली	पार्षद / सदस्य
92	95	श्रीमती सौम्या शुक्ला	पार्षद / सदस्य
93	96	रूमा फकर	पार्षद / सदस्य
94	97	तबस्सुम अमीम	पार्षद / सदस्य
95	98	श्री दीपक शर्मा	पार्षद / सदस्य
96	99	नूर जहां	पार्षद / सदस्य

97	100	श्री गिरीश बाजपेई	पार्षद / सदस्य
98	101	श्री अभिषेक गुप्ता (मोनू)	पार्षद / सदस्य
99	102	श्रीमती निशा अकील शानू	पार्षद / सदस्य
100	103	फैजान रहमान	पार्षद / सदस्य
101	104	श्री अमित गुप्ता	पार्षद / सदस्य
102	106	श्री शिवम दीक्षित	पार्षद / सदस्य
103	105	मो0 मेराज	पार्षद / सदस्य
104	107	श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य
105	108	श्री जावेद अख्तर गुड्डू	पार्षद / सदस्य
106	109	श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य
107	110	मो0 नौशाद	पार्षद / सदस्य

पदेन सदस्य

1	मो0 हसन रूमी	पदेन सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री शिवशरणप्पा जी.एन. नगर आयुक्त
2. श्री प्रतिपाल चौहान अपर नगर आयुक्त
3. श्री जगदीश यादव अपर नगर आयुक्त
4. श्री मनीष अवस्थी मुख्य अभियन्ता ''सिविल''
5. श्री कृपा नन्द शुक्ला मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. डा0 अजय संख्वार नगर स्वास्थ्य अधिकारी
7. डा0 अमित सिंह नगर स्वास्थ्य अधिकारी / प्रभारी अधिकारी वर्कशाप
8. श्री के0पी0आनन्द प्रभारी महाप्रबन्धक ''जलकल''
9. श्री राजेश सिंह सचिव नगर निगम

सर्वप्रथम वन्दे मातरम (राष्ट्रगीत) गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर नगर आयुक्त ने मा0 पार्षदगण, अधिकारी/कर्मचारी एवं मीडिया बन्धुओं का स्वागत करते हुए अपर नगर आयुक्त ''प्रथम'' को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने को आदेशित किया गया।

अध्यक्ष ने कहा कि सदन की बैठक में आये छावनी विधानसभा के मा0 विधायक मो0 हसन रूमी का स्वागत करती हूॅ तथा सभी दलों के नेता सदन अपने दल के पार्षद जो बोलना चाहते हो, उन वक्ताओं के नामों की सूची उपलब्ध करा दें, ताकि चर्चा में वहीं अपनी बात रख सके और सदन की मर्यादा बनी रहे।

पार्षद दल के नेता श्री नवीन पंडित ने कहा कि जो हमारे वक्ता है, उनके नाम लिख लिये है अन्य दल भी अपने वक्ताओं की सूची अध्यक्ष को पटल पर उपलब्ध करा दें।

अध्यक्ष ने कहा निर्दलीय भी जीत कर आये है, वो भी अपने वक्ताओं की सूची बना लें, सपा, कांग्रेस दल ने नेता जिस वक्ता का नाम लिख कर देंगे, वही सदन में अपनी बात रखेगा।

पार्षद हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूॅ कि पूर्व मे अशोक नगर चौराहे पर अमर जवान ज्योति को सी0यू0जी0एल0 (CUGL) कम्पनी द्वारा बन्द कर दी गयी है। यह शहीदों का अपमान है। सी0यू0जी0एल0 (CUGL) कम्पनी ने यह कह कर अमर ज्योति बन्द कर दिया है जबकि 07 साल का एग्रीमेन्ट था। अमर जवान ज्योति में मुश्किल से प्रतिमाह 2–3 हजार का गैस में खर्च होता है। सी0यू0जी0एल0 (CUGL) कम्पनी का हमारी जमीनों पर कामर्सियल टैंक बनाये गये है, जिसका कोई शुल्क नगर निगम को प्राप्त नहीं होता है। जो नगर निगम जमीनों पर गैस की पाइप लाइन डाली गयी है, उससे नगर निगम कितना शुल्क प्राप्त होता है ? सी0यू0जी0एल0 (CUGL) कम्पनी द्वारा नगर निगम की जमीन पर दो–दो सबस्टेशन बनाये गये है, उसका भी कितना शुल्क मिलता है? सी0यू0जी0एल0 (CUGL) कम्पनी के निदेशक को बुलाकर कड़ी कार्यवाही की जाये, इनसे सभी का यूजर चार्ज लिया जायें और अमर जवान ज्योति जलाने का यदि यूजर चार्ज से अतिरिक्त देय बनता हो उतना पैसा नगर निगम दे दे। इसका बजट में भी उल्लेख किया जाये।

अध्यक्ष ने कहा नगर आयुक्त जी मुख्य अभियन्ता को आदेश कर दे कि सी0यू0जी0एल0 (CUGL) कम्पनी के कार्यो की जॉच करें। सी0यू0जी0एल0 (CUGL) कम्पनी ने अमर जवान ज्योति अपने मन से लगाया था और यदि 07 साल का एंग्रीमेन्ट था, तो नगर निगम शहर की इतनी बड़ी संस्था है, नगर निगम के अधिकारी बन्द कर देते। नगर आयुक्त जी एवं हमारे सभी 110 पार्षदगण सी0यू0जी0एल0 (CUGL) कम्पनी द्वारा चाहे 01 इंच जगह हो, जितनी खुदाई की उसका कितना पैसा आया ? यूजर चार्ज के मद में कितना बनता है ? तथा एक साल में अमर जवान ज्योति जलाने पर कितना व्यय होता है, का विवरण तैयार कर कार्यवाही की जाये। जब तक नगर निगम रहेगा, तब तक अमर जवान ज्योति जलता रहेगा।

छावनी विधायक मो0 हसन रूमी ने कहा कि छावनी वार्ड में पेयजल की अत्यधिक समस्या है। 03 नलकूल स्वीकृत कर दिये गये है। जेड पी एस बन्द है। छावनी वार्ड मे पेयजल की गंभीर समस्या है। जहॉ–जहॉ जेड पी एस बन्द है, को चालू कराये जाने की कृपा करें साथ ही 15 वें वित्त आयोग से कुछ सड़के मिल जाये तो छावनी के लोगों की यात्रा सुगम हो जायेगी।

अध्यक्ष ने कहा छावनी क्षेत्र में नलकूल दिये गये है, पार्षदो के माध्यम से यदि विधायक निधि से कुछ राशि नगर निगम को दिलाये जाने की कार्यवाही करायेंगे, तो क्षेत्र मे अन्य विकास कार्य कराये जायेगे।

श्री यशपाल सिंह ने कहा कि सिविल लाइन्स क्षेत्र में आधा वार्ड पानी से जलमग्न है। वार्ड की सारी सीवर लाइने चोक है। जल कल विभाग के कर्मचारी खपच्ची चला कर चले जाते है। सिविल लाइन्स क्षेत्र शहर का हृदय है,

वहाँ के लोग मकान बेच कर जा रहे है। पूरे वार्ड में पानी की लाईन पड़े डेढ़–दो साल हो गये है लेकिन पानी की एक बून्द नहीं टपक रही है। कम से कम जहाँ लाइने डाल रहे है, वहाँ पानी चालू करा दें। कचहरी के आस–पास जो भी पुराने पेशाबघर थे, वहाँ पर वकीलों के बस्तें बन गये है। कचहरी में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता आती है, वह गलियों में पेशाब करती है, जो पेशाब घर है कोई संभ्रात व्यक्ति उसके अन्दर नहीं जाना चाहता है। एक सफाई कर्मी पेशाब घर के लिये रखा जाये, ताकि पेशाब घर की सफाई कर सके।

अध्यक्ष ने कहा कि महाप्रबन्धक जल कल अपना जवाब प्रस्तुत करें। शहर में कही गन्दा पानी आता है क्यों आता है, पूरे शहर के बारे में बताएं।

श्री के0पी0 आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक जलकल ने कहा कि पार्षद जी शहर में सफाई सुपर–शॉकर मशीन से सफाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। पानी की लाईन जल निगम द्वारा डाली गयी है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि जिन वार्डो में सीवर लाइनें नहीं है, वहाँ का कोई विषय नहीं है। जहाँ सीवर लाईने पड़ी है। वहाँ 70 प्रतिशत सीवर बाहर बह रहा है। नाले, नालियों में बरसात में जल भराव होता है। मूल जड़ पकड़ने का प्रयास नहीं करते है। मेरा निवेदन है कि जलकल का बजट में सीवर लाईनें की सफाई का कोई प्रबन्धन नहीं है। पूर्व में सीवर सफाई सुपर शाकर से हुई ही नही है कही भी डि–सिल्टिंग के मद में कुछ नहीं है। चोक सीवर लाइनों को खुलवाना चाहिये। श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने सुझाव भी दिये। 1. पार्षदों से प्रस्ताव ले लिया जाये। 2. जहाँ छोटी सीवर लाईन 6 इंच वाली को 10 इंच में परिवर्तित की जाये। 3. सुपर शाकर मशीन कम से कम 10 होनी चाहिये, तभी शहर की सीवर सफाई हो सकती है। 4. दक्षिण भारत में सीवर सफाई की आधुनिकतम मशीनें कार्यरत है, पुराने तरीके से भला होने वाला नहीं है। आधुनिक प्रणालियों का उपयोग कानपुर में भी हों। अमृत योजना में क्या हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। जैसे पूर्व में जे0एन0यू0आर0एम0 योजना आयी थी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी । अमृत योजना के विषय में अधिकारियों के माध्यम से जानकारी कर कार्यवाही की जाये, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े। पिछले कार्यकाल में प्रत्येक वार्ड में 5–5 सफाई कर्मचारी बढ़ाये जाने आदेश हुआ था, आज तक आदेश पारित नहीं हुआ है। किसी वार्ड मे सेवानिवृत्त, स्थानान्तरण, मृतक कर्मचारी चाहे संविदा अथवा आउटसोर्सिंग कर्मी हो, के स्थान पर कोई नहीं आता है, के रिक्त स्थान पर पूर्ति होनी चाहिये। वार्डो से कूड़ा अड्डा हटाया जा रहा है, लेकिन वार्ड का कूड़ा कर्मचारी डालेगा कहाँ ? वार्ड नौ नंबर गुमटी से छपेड़ा पुलिया पुलिया के बीच झोपड़ पट्टी है, बस्ती में 02 कूड़े अड्डा बन गया है। छपेड़ा पुलिया सब्जी मण्डी कूड़ा अड्ड बन गया है। 9 अगस्त 2023 को नगर आयुक्त द्वारा छपेड़ा पुलिया से अतिक्रमण हटवाया गया था। पुनः स्थापित हो गया है, कोई व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है, ताकि पुनः अतिक्रमण न हो।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि जल कल विभाग को सुपर शाकर मशीन से सफाई हेतु 30 करोड़ के बजट के साथ सिविल कार्य भी आवंटन किया गया है। समर्सिबल, सुपर शाकर से सफाई का कार्य 15 वें वित्त से ही होता था, इस बार जलकल निधि से कराया गया है।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि 5–5 दिन पानी नहीं आता है, लीकेज, पाइप लाइन टूटी है, गंदा पानी आता है। कानपुर दक्षिण में पेयजलापूर्ति की स्थिति अत्यन्त खराब है।

श्री के0पी0आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक जल कल ने अवगत कराया कि पूर्व में सफाई हेड में कोई प्रबन्ध नहीं था, इस बार 04 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अभी शुरूआत है। भविष्य में और बढ़ाया जायेगा, हमारे पास वर्तमान में 04 सुपर शाकर मशीने है, जो निरन्तर क्रियान्वित है।

श्री कैलाश पाण्डेय ने कहा कि सुपर शाकर मशीन से मेन लाइन की सफाई कराया जाता है। जहाँ लाइन नहीं है, वहाँ कैसे करायेंगे।

अध्यक्ष ने कहा कि जलकल का पार्षदों के प्रति कर्तव्य है उन्हें बताये कि सुपर शाकर मशीन कहाँ चल रहा हैं, ऐसा न हो कि सुपर शाकर मशीन कबाड़ में खड़ा रहे। अभी मै परमट जा रही थी। शेयर मार्केट के सामने 05 फीट

ऊपर पानी बह रहा था। सुबह सात बजे मन्दिर जा रही थी तो सड़क पर पानी भरा था। जल निगम का कर्मचारी शाम को मोटर खोल देता है। जल निगम के कारण मकड़ीखेड़ा मे ंपानी भर गया। रू0 12 लाख जल निगम को दिया गया, दीवार तोड़ने के लिये, लेकिन ताकि जल भराव न हो। जल निगम के अधिकारी अवगत करायें।

श्री शहजादे इकबाल, सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण विभाग) ने कहा अमृत मिशन योजना जल निगम नगरीय द्वारा देखा जाता है।

अध्यक्ष ने कहा कि जब कोई जानकारी नहीं है तो सदन में क्यों आये है, अपने उच्च अधिकारी को बुलायें।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि जल निगम की ब्रम्हनगर, प्रेम नगर, गीता नगर, चुन्नीगंज फीलखाना की टंकियॉ जल कल द्वारा हैण्डओवर डेंढ़ साल पहले कर ली गयी है, जबकि टंकियॉ खराब है। गीता नगर के जेडपीएस से मसवानपुर को पानी मिल रहा है। गीता नगर में टंकी क्यों नही बनवाई गयी। जल निगम के ऊपर 56 प्राथमिकी उ0प्र0 सरकार द्वारा दर्ज करायी गयी है, इनके कार्य अभी जॉच में है। सभी हैण्डओवर रदद् किये जाये।

श्री के0पी0 आनन्द, प्रभारी महाप्रबन्धक जलकल ने अवगत कराया कि प्रेमनगर, ब्रम्ह नगर, गीतानगर, अजीतगंज में जेडपीएस हैण्डओवर लिये गये है, पाइप लाइन हैण्ड ओवर नहीं हुए हैं।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि जेडपीएस का भौतिक सत्यापन किया गया है कि क्या उनमें पूर्ण कार्य हो गये है ? हमारे यहॉ जेडपीएस में कार्य अभी अधूरे है, क्या नगर निगम उनका मेंन्टीनेन्स कर पायेगा? यह आपकी ही संस्था है हम तो पॉच वर्ष बाद चले जायेंगे, पर आप इसी संस्था में रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि कि व्यवस्था दी जाये कि जिन जेडपीएस को हैण्डओवर ले लिया गया है, उन्हें वापस दे दिया जाये और पूरा परीक्षण कराने के बाद ही टंकियों को हैण्डओवर लिया जाये।

श्री के0पी0 आनन्द प्रभारी महाप्रबन्धक जल कल ने अवगत कराया कि जेडपीएस का समिति बनाकर जेडपीएस की जॉच करा ली जायेगी, यदि उसके उपरान्त भी कमी पायी जाती है, तो उसे वापस कर दिया जायेगा। जलकल में राजस्व निरीक्षकों की कमी है। आउटसोर्सिग पर राजस्व निरींक्षकों को रखे जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष ने कहा कि जब जलकल द्वारा जेडपीएस के हैण्डओवर की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तो, महापौर और नगर आयुक्त को ससमय अवगत कराया जायेगा, जेडपीएस के विधिवत् निरीक्षणोंपरान्त ही सही स्थिति होने की दशा में हैण्डओवर की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। जब काम करने की बात होती है, तो नगर निगम से धन उपलब्ध कराने की बात कहते है। अगर जल निगम से अधूरा काम लेंगे, तो किस मद से पूरा करेंगे। मेरे मोबाइल पर जितनी शिकायती जनता की आती है, उनमें 50 शिकायतें पानी के सम्बन्ध में होती है। हैण्ड ओवर लेने से पूर्व में समिति के माध्यम से किया था, आपने समिति मे महापौर को सम्मिलित किया था ?

अध्यक्ष ने जल कल महाप्रबन्धक को निर्देशित किया कि जल कल विभाग द्वारा जल निगम से जो जेडपीएस हैण्डओवर लिये गये है, उनमें जल निगम द्वारा क्या–क्या कार्य कराये गये है? सदन के समक्ष अवगत करायें।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि जेडपीएस का हैण्डओवर का कार्य अभी फाइनल नहीं हुआ है। इसमें कमियॉ थी। हैण्डओवर की कापी क्षेत्रीय पार्षद और महापौर को भी दी जायेगी। कमियों की पूर्ति के लिये 15 वें वित्त आयोग से धन मांगते है।

श्रीमती वन्दना शर्मा ने कहा कि नौरैया खेड़ा मे ंपानी की पाईप लाइन पड़ी है, पानी नहीं आता है। अभी तक सीवर लाईन भी नहीं पड़ी है।

श्री अंकित मौर्या ने कहा कि मेरे वार्ड मे ंसीसामऊ नाला है, जो खुला हुआ है, पिछले दिनों एक आदमी नाले मे ंगिरकर मर गया। सब लोग यही कहते है, पैसा नहीं है, यह किसकी जिम्मेदारी है, पैसा कहॉ से आयेगा ? मेरे वार्ड मे 12/103 मलिन बस्ती है। रात को 2 बजे लोग अपनी समस्या लेकर आ जाते है।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि बजट 200 करोड़ का है, जबकि नगर निगम की एआरवी का 15 प्रतिशत टैक्स लेता है और जलकल एआरवी का 17 प्रतिशत टैक्स लेता है। हमलोगों को निर्वाचित हुये ढाई माह हो गये है। माननीय विधायकों को 50 लाख का काम दिया गया है, पार्षदो को भी 30 लाख का काम दिया जाये। कानपुर शहर मे स्मार्ट सिटी कार्य कर रही हैं यह स्मार्ट सिटी किसके आदेश से कार्य कर रही है। कारगिल पार्क में कैटिंन बना दी गयी, उसका आवंटन स्मार्ट ने किया है। स्मार्ट सिटी ने पार्क बना दिये, उसकी मेन्टेंस नगर निगम कैसे करेगी ? 35–40 बस स्टैण्ड पीपीपी मॉडल पर आवंटित कर दिये। बस स्टैण्ड में दुकान बना दी गयी है, उस स्टैण्ड पर विज्ञापन की अनुमति कैसे दी गयी ?

अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट सिटी द्वारा बस स्टैण्डों पर विज्ञापन की अनुमति किस आधार दी गयी अवगत कराये ? साथ ही कोई कुछ भी बना ले नगर निगम का ही मालिकाना हक रहेगा। नगर आयुक्त जी सारे सांसद विधायकों को क्या मिला, चाहें 15 वें वित्त आयोग से, अवस्थापना से या नगर निगम निधि से कितना कार्य हुआ ? 25–25 लाख वाला कार्य कहॉ तक पहुॅचा।

श्री कैलाश पाण्डेय ने कहा कि 10–10 लाख के प्रस्ताव लिये गये, 10–10 लाख के कार्य स्वीकृति नहीं हुए। मा0 सांसद/विधायकों के 50–50 लाख के प्रस्ताव स्वीकृत हो गये।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि माननीय विधायकों की तरह हमलोगो के भी 10–10 लाख के टेण्डर सामान्य निविदा करायी जाये। टेण्डर 26 प्रतिशत बिलों आ रहा हैजिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। कम से कम 15 प्रतिशत बिलो पर आये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि पार्षद कोटे के के 25–25 लाख के कार्य की सारे जोनों से फाइलें आ गयी है। टेण्डर अपलोड होना है। पहले 10 लाख के कामों की 100 से अधिक पत्रावलियॉ स्वीकृत कर दी गयी है। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी, कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। मा0 कार्यकारिणी के निर्देशानुसार शेष 15 लाख की पत्रावली तैयार जायेगी। स्मार्ट सिटी का प्रकरण उठाया गया है। पालिका स्टेडियम को भारत सरकार की टीम द्वारा पूरे भारत में नम्बर–3 पर आयी है। सारी प्रक्रिया को निर्देशानुसार ही कार्य करते है। बस स्टैण्ड का का कार्य पूरे प्रदेश मे ंपहली बार पीपीपी मॉडल पर कार्य किया गया है।

श्री कौशल मिश्रा ने कहा कि पूर्व में आदेश हुए थे कि यदि मा0 विधायक जी के कार्य सम्बन्धित क्षेत्रीय पार्षद के पत्र के आधार पर किया जाये, इसका अनुपालन नहीं हो रहा है।

नगर आयुक्त ने मुख्य अभियन्ता सिविल को निर्देशित किया कि इस प्रकरण पर विचार किया जाये।

श्रीमती लक्ष्मी कोरी ने कहा कि हमारे क्षेत्र मे ंठेकेदार ने टेण्डर लेने के बाद समय से काम पूरा नहीं किया और चुनाव के समय कार्य किया चुनाव के दौरान खराब कार्य किया गया। नगर आयुक्त जी से कहा कि तो नगर आयुक्त जी आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के यहॉ शिकायत करने को कहा, क्योंकि नगर निगम के कार्यो की जॉच आयुक्त, कानपुर मण्डल ही कर सकते है।

अध्यक्ष ने पूछा कि आप जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुई है उस वार्ड क जॉच चाहती है या पुराने वार्ड के कार्यो की जॉच चाहती है।

श्रीमती लक्ष्मी कोरी ने कहा पुराने वार्ड की जॉच कराना चाहती हूॅ।

पुराने वार्ड के सम्बन्ध में अध्यक्ष ने श्री अंकित मौर्या से कार्यो के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया ।

श्री अंकित मौर्या ने कहा कि मेरे वार्ड मे जितने कार्य पूर्व में हुये उसकी जॉच न करायी जाये।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि मेरा वार्ड गंगा बैराज के बगल में है। मै सन् 1995 से 5 वीं बार पार्षद हूॅ। हमारे वार्ड के अन्तर्गत पहलवानपुरवा सहित पूरे वार्ड में जल निगम ने जलापूर्ति लाईन नहीं डाली है। मैने मा0 मुख्यमंत्री

सहित नगर निगम के अधिकारियों को कई बार लिख कर दिया लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। गंगा बैराज के बगल के वार्ड की जनता ही पानी के लिये प्यासी है। जल निगम ने सीवर लाईन डाल कर पूरा भुगतान ले लिया। यदि जल कल के कर्मचारी न हो तो जनता परेशान हो जाये। यदि हैण्ड पम्प न होतो जनता प्यासी मर जाये। जलकल विभाग के माध्यम से वॉटर लाइन डाली जाये, जिससे लाईनो का मरम्मत के दौरान जल कल विभाग की जिम्मेदारी बनी रहे। कार्यकारिणी सदन से पास अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा का पत्थर अभी नहीं लगाया गया है। वाटर, सीवर लाइन डाली जा रही लाइने जल निगम के स्थान पर जल कल विभाग से डलवायी जाये।

अध्यक्ष ने **भारत का चंद्रयान–3 चॉद की धरती पर सफलतापूर्वक उतर गया है उसके नाम कर्रही की सड़क का नामकरण चंद्रयान–3 के नाम पर किया जाये।**

....

अपराह्न 03 : 45 बजे 10 मिनट के लिये सदन स्थगित

....

सायं 04:10 बजे बैठक प्रारम्भ

....

श्री अरविन्द यादव ने कहा कि 10–10 लाख के काम की बात कर रहे थे। मा0 विधायक/सांसदों को 50–50 लाख का काम दिया गया है। हम पार्षदों का 25–25 लाख का काम अभी तक नहीं हुआ है। 05–05 कर्मचारी दिये जाने के आदेश के बाद भी अभी तक नहीं दिये गये है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि कर्मचारी का जो डेटा बनाया गया है, वह पिछले 06 महीने से सेवानिवृत्त या मृत हुये कर्मचारियों के आधार पर 110 कर्मचारियेां की नियुक्ति की जानी है।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि जैसा कि पूर्व सदन मे ंपास हुआ था कि 05–05 कर्मचारी अतिरिक्त दिये जाये। जिस तरीके से पूर्व में लाल बंगला, बिरहाना रोड का सुन्दरीकरण का कार्य होना था। 03 वर्ष पहले बिरहाना रोड में व्यवसायियों के साथ बैठक के उपरान्त शुभारम्भ हुआ था। साढ़े 3 साल बाद कार्य नहीं हुआ यह किसकी जवाबदेही होगी ? पहले पास करके पूरा नहीं करते है। बारातशाला अधूरी है। सामान्य निविदा के साथ 25–25 लाख के कार्य कराये जाये।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि 100 पत्रावलियॉ स्वीकृत कर दी है।

अध्यक्ष ने कहा कि 110 पार्षद है, 100 पत्रावलियॉ ही क्यों स्वीकृत हुई। कार्यकारिणी डेढ़ माह पहले हुई थी। 25–25 लाख के कार्य प्रत्येक पार्षद के यहॉ होने मे कहॉ बाधा है। जिस प्रकार सांसद/विधायक को 50–50 लाख कार्य दिया गया है। उसी आधार पर दिया जये। पार्षद भी चुनाव लड़ कर आये है। जहॉ पार्षद सम्मान चाहते है जहॉ भी काम हो उसे पूरा किया जाये तथा पत्थर में नाम लिखा जाये। आज सदन स्थगित होगा, मुख्य अभियन्ता 25–25 लाख का कामो की वार्डवार सूची तैयार कर अगले सदन में प्रस्तुत करें।

श्री विनोद गुप्ता ने कहा नगर आयुक्त जी आश्वासन दिया था, शास्त्री नगर में शौचालय निर्माण कराया जायेगा, उसे शीघ्र पूर्ण कराया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि मै पूर्व में 10 वर्षो तक पार्षद रह चुकी हूॅं मुझे जानकारी है जबकि अब शहर ओ0डी0एफ0 घोषित हो चुका है परन्तु आज भी महिलायें खुले में शौच हेतु जाती है। इस पर कार्यवाही करायी जाये। शास्त्री नगर में बनी बारातशाला जर्जर व कमजोर होने के कारण किसी अनहोनीह व दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी रहती है इस सम्बन्ध में कई बार कार्यवाही की अपेक्षा की गई है परन्तु अभी स्थिति वैसी ही है।

इस पर अध्यक्ष द्वारा मुख्य अभियन्ता को बुलाकर जवाब चाहा गया ।

श्री मनीष अवस्थी, मुख्य अभियन्ता सिविल ने अवगत कराया कि बारातशाला की छत वाइब्रेट कर रही है, दूसरी छत डालनी पड़ेगी। बरसात में हादसा हो सकता है।

अध्यक्ष ने कहा कि जिस ठेकेदार ने बारातशाला बनाई है, यदि वह नगर निगम में कार्य कर रहा है, वहीं ठेकेदार दूसरी छत डालेगा, यदि वह छत नहीं डालता है, उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाये।

श्री गोविन्द शुक्ला ने कहा कि हम वार्ड–59 से पार्षद है हमारे वार्ड की ही बारातशाला है। 70 प्रतिशत आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है। बारातशाला का निर्माण जल्द से जल्द किया जाये।

श्रीमती अंजुली दीक्षित ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग से समुचित धन दिया जाये। गुजैनी क्षेत्र मे ंखुले नाले में गिरकर गौवंश गिरते रहते है। सीवर के ढक्कन हेतु 06 करोड़ का प्रावधान जलकल के बजट में किया गया है। 5–10 ढक्कन बदलवाने में 06 माह का समय लग जाता है, इसे बढ़वाया जाये ।हमारे वार्ड की ट्यूबवेल की मोटर 3–3 बार जल चुकी है। गुजैनी क्षेत्र में अभी तक गढ्ढा मुक्त अभियान संचालित नहीं हुआ है, जिसे समय से भरवाये जाने की आवश्यकता हैं वार्ड 55 में 42 सफाई कर्मचारी है, जिसमें 10–12 तो आते ही नहीं हैं, 05 कर्मचारियों की और आवश्यकता है।

अध्यक्ष ने कहा नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी यह समस्या कहॉ–कहॉ है, जो कर्मचारी नहीं आ रहे है, उनको तत्काल हटाइये।

श्री सरोज चढ्ढा ने कहा कि मेरे वार्ड मे सीवर समस्या बहुत है। 70 साल पहले सीवर लाइन पड़ी थी, जनता परेशान है। सीवर लाइने चोक है। समस्या का हल नही ंकर पा रहे है। 10 टूटे ढक्कन के स्थान पर 02 ढक्कन मिलते है। स्व0 अश्विनी चढ्ढा जी ने इस क्षेत्र मे ईमानदारी से कार्य किया। मेरा अनुरोध है कि गोविन्द नगर में वीरेन्द्र स्वरूप जाने वाला मार्ग स्व0 अश्विनी चढ्ढा जी के नाम पर किया जाये।

श्री सौरभ देव ने कहा कि पूर्व में जो कानपुर नगर निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण हुये थे। उसमे ंजोन–4 में पदस्थ श्री मुन्ना हजारिया जी का स्थानान्तरण हुआ था, किन्तु 05 दिन पुनः जोन–4 में पदस्थ कर दिया गया, ऐसा कौन सा राजनीतिक दबाव आया कि उसी को वापस कर दिया गया। यह भ्रष्टाचार है या प्रेम है।

श्री विद्या सागर यादव, प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने कहा कि इनका स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता सिविल द्वारा नगर आयुक्त महोदय से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किया गया है, न कि कार्मिक विभाग से, परन्तु मा0 सदन के आदेशो के अनुपालनार्थ उक्त आदेश को रिवर्ट कर दिया जायेगा।

श्री सौरभ देव ने कहा कि स्मार्ट सिटी से बने मल्टी लेवल स्पोर्टस काम्प्लेक्स के बगल में एक कमरा बनाकर कब्जा कराने की कोशिश चल रही है। वहॉ एक ठेकेदार है, जिसने कमरा बना लिया है। जितने कार्य श्री आर0 कें0 सिंह द्वारा कराये गये है, उसकी जॉच करायी जाये एवं जॉच तक इनका वेतन रोक दिया जाये।

श्री आर0 के0 सिंह, नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी ने अवगत कराया कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा मात्र कुछ दिवसों के लिये अस्थाई तौर पर सामान रखने हेतु कमरा बनाया है, सउन के आदेशानुसार मै उसे कल ही तुड़वा दूॅगा। सीताराम ठेकेदार का नाम है।

श्रीमती शालू कनौजिया ने कहा कि ओ–ब्लाक सब्जी मण्डी में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 20 करोड़ रूपये दिये गये है। जूही राखी मण्डी स्थित श्रमिक पार्क में में अभी तक रिबोर नहीं हुआ है।

श्री नीरज दीक्षित ने कहा कि हमारे वार्ड मे ं65 बीटे है, 40 कर्मचारी है। रिक्त बीटों पर कर्मचारियों की आवश्यकता है।

श्री नीरज वाजपेई ने कहा कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 221ए में प्राविधानित है कि यदि किसी भवन स्वामी द्वारा गृह कर जमा करने में विलम्ब किया जाता है तो इस पर 12 प्रतिशत ब्याज देय होता है। मेरा अनुरोध

है कि मात्र 15 दिवस का ही ब्याज लिया जाये। ईएसएसएल वाले लाइट ठीक करने नही आते है न ही फोन उठाते है। मेरे वार्ड में राजस्व वसूली 95 प्रतिशत है जबकि मेरे वार्ड में विकास कार्य हेतु अधिक धनराशि आंवटित की जाये।

जल निगम के अधीक्षण अभियन्ता श्री ए0पी0 सिंह ने अवगत कराया कि परमिया नाला तोड़ने हेतु धन मिल गया है, उसे तोड़ा जायेगा। सिविल लाइन्स क्षेत्र मे ंसीवर लाइन पड़ रही है।

अध्यक्ष ने कहा कि थोड़ी सी बरसात में मकड़ीखेड़ा क्षेत्र में पानी भर गया। यदि धन मिलने के बाद भी तोड़ा नही गया। क्षेत्र मे ंपानी भर गया जल निगम को जानकारी ही नहीं है। जल निगम के लोग सदन को खिलौना समझे है। हमारे पार्षद परेशान है। सदन को गुमराह कर रहे है। इनके सभी कार्यो की जॉच आई0आई0टी0 से करायी जाये।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक की आपत्ति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत नहीं की जाती है, प्रतिवर्ष आडिट रिपोर्ट सदन आनी चाहिए।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ने कहा सोडियम लाईट बन्द कर दी गयी। अब तक जो बदली नहीं गयी है, उनके स्थान पर पहले की व्यवस्था की जाये। नगर निगम से ही लाईट की व्यवस्था की जाये। जैसे पूर्व की तरह कार्य कराया जाता था। जलकल से ही वाटर, सीवर लाईन का कार्य कराया जाये। जल निगम के कर्मचारी फोन तक नहीं उठाते है।

अध्यक्ष ने कहा कि शासन का आदेश है, जल निगम को धन देना मजबूरी है।

श्री निर्देश सिंह चौहान ने कहा कि वार्ड–47 में गढ्ढा मुक्त होने की तारीख बीत गयी, लेकिन गढ्ढा मुक्त नहीं हुआ। गढ्ढा मुक्त न होने पर भुगतान हो रह है। कार्य भी नहीं होता। कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता है। कौन जिम्मेदार व्यक्ति है। मै तीसरी बार सदन आया हूॅ, कई नये पार्षद है, जो पहली बार जीत कर आये है, उनका फोन उठाया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि बरसात के बाद 110 पार्षद सबको साथ लेकर कानपुर को गढढा मुक्त बनाया जायेगा। सभी वार्डो में 03–03 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। जितने सफाई कर्मचारी नियुक्त है, वो क्यों नही आते है, इसका समस्या का निराकरण कराये।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि जोन–5–6 के पार्षदों की मांग के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि एक डाक्टर रखे जो सभी जोनों को कार्य पूर्व की तरह देखे, एक डॉ0 संध्या रानी है, वो कभी दिखायी नहीं देती है। सारे अधिकारी सदन में आये है, सदन से बढ़कर क्या होगा।

श्री नवीन पंडित ने डूडा के अधिकारी से कहा पार्षदों को भी आसरा योजना के 02–02 फार्म दिये जाये।

डूडा अधिकारी द्वारा आसरा योजना के फार्म पार्षदो को दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

श्री कौशिक वाजपेई, ने कहा हमारे वार्ड–76 में लक्ष्मण पार्क स्मार्ट बन रहा है, अभी अधूरा पड़ा है। पार्क के अन्दर जानवर विचरण कर रहे है। पार्क में ठेकेदार नहीं आ रहा है। फूलबाग स्मार्ट सिटी का पार्क है, हमारे वार्ड मे ंजल कल का फाल्ट है, आर0 के0 सिंह ठीक नहीं करने दे रहे है।

प्रस्ताव संख्या –01

दिनांक 04 जुलाई को स्थगित एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का प्रस्ताव संख्या–01 नगर निगम वित्तीय वर्ष 2023–24 का मूल बजट को स्वीकृत प्रदान करते हुए मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया:–

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	वास्तविक आय 2021—22 तक	पुनरीक्षित धनराशि 2022—23	वास्तविक आय दिसम्बर 2022 तक	प्रस्तावित धनराशि 2023—24
	Revenue Income		**राजस्व आय**	_				
1101	Tax Revenue	1101	करो से आय	3	20225.67	24912.50	11187.87	27512.50
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	3	272.77	323.00	232.46	953.00
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्को से आय	3-4	2376.55	3446.05	2138.07	4542.95
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाडे से आय	4	66.04	107.65	27.02	148.40
1701	Income from Investments	1701	विनियोगो से आय	5	0.00	0.20	3.38	10.10
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	5	581.16	502.60	406.48	602.50
1901	Other Income	1901	अन्य आय	5	426.68	728.30	264.34	768.30
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	5	37393.72	41080.20	32651.29	45650.20
	TOTAL -(A)		**योग (अ)**	**5**	**61342.59**	**71100.50**	**46910.90**	**80187.95**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**	-				
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ/पन्द्रहवाँ	6	13860.90	23300.00	16124.92	27101.00
3111	Infrastructure Fund KDA,Awas Vikas	3111	अवस्थापना निधि,विकास प्रधिकरण,आवास विकास	6	2025.42	2750.00	1890.00	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	6	1224.06	2066.00	397.37	6066.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण/असुरक्षित ऋण	6	0.00	0.00	0.00	4.00
3304	eipts	3304	म्यूनिसिपल बाण्ड से प्राप्तियां	7	0.00	0.00	0.00	15350.00
	TOTAL -B-		**योग (ब)**	**7**	**17110.37**	**28116.00**	**18412.30**	**52521.00**
	TOTAL (A+B)		**योग (अ+ब)**	**7**	**78452.97**	**99216.50**	**65323.20**	**132708.95**
	Reserve Fund (Transfer & Adjustments)		**रिजर्व फण्ड (हस्तान्तरण एंव समायोजन)**					
3111	State Finance Commission Adjustment (DLB)	3111	राज्य वित्त आयोग समायोजन (डीएलबी)		23174.38	0.10	0.00	16950.00
3111	AMRUT/ Smart City Etc	3111	अमृत/कानपुर स्मार्ट सिटी/आदि	7	5124.31	300.00	40.05	10920.00
	TOTAL -C-		**योग (स)**	**7**	**28298.69**	**300.10**	**40.05**	**27870.00**

	Total Revenue, Capital & Reserve fund Income A +B+ C		**कुल राजस्व,पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)**	**7**	**106751.66**	**99516.60**	**65363.25**	**160578.95**
4502	Opening Balance	4502	**प्रारम्भिक अवशेषः–**	7	48780.66	39713.57	45022.58	30252.32
	Grand Total		**महायोग**	**7**	**155532.32**	**139230.17**	**110385.82**	**190831.27**

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	**Account Head**	**लेखा शीर्षक**	लेखा मद	पृष्ठ संख्या	**वास्तविक व्यय 2021–22 तक**	**पुनरीक्षित धनराशि 2022–23**	**वास्तविक व्यय दिसम्बर 2022 तक**	**प्रस्तावित धनराशि 2023–24**
	Revenue Expenses		**राजस्व व्यय**	–				
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	8	42017.96	53561.10	33521.40	49239.20
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	8-9	3238.20	3360.25	2759.85	3614.25
2301	Operation & Maintenance	2301	अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	9-11	15550.20	20339.50	14757.09	24826.00
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	11	676.20	754.50	3.79	754.50
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियाँ	11-12	888.28	1252.50	824.89	1252.50
	TOTAL -D-		**योग (द)**	**12**	**62370.84**	**79267.85**	**51867.02**	**79686.45**
	Capital expenses		**पूँजीगत व्यय**					
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियाँ	-				
3111	Finance Commission: Forteenth/Fifteen	3111	वित्त आयोग : चौदहवाँ / पन्द्रहवाँ	13	16686.15	23150.00	15184.58	26900.00
3111	Infrastructure Fund, KDA & Awas Vikas	3111	अवस्थापना निधि,विकास प्रधिकरण,आवास विकास	13	522.04	2750.00	1401.50	4000.00
3111	Other Earmarked Fund	3111	अन्य कार्यविशेष निधियाँ	14	1302.81	2690.00	960.04	6690.00
3301	Secured Loans/Unsecured Loans	3301	सुरक्षित ऋण / असुरक्षित ऋण	14	0.00	0.00	0.00	4.00
4608	Municipal Bond Payments	4608	म्यूनिसिपल बाण्ड हेतु व्यय	14	0.00	0.00	0.00	15350.00
4609	Stock In Hand	4609	अन्तिम रहतिय मे वृद्वि / कमी	14	218.33	0.00	0.00	4.00
	Total -E-		**योग (य)**	14	**18729.33**	**28590.00**	**17546.12**	**52948.00**
	Total -(D+E)		**योग (द+य)**	**14**	**81100.16**	**107857.85**	**69413.13**	**132634.45**
	Reserve Fund (Transfer & Adjustments)		**रिजर्व फण्ड (हस्तान्तरण एंव समायोजन)**					

3111	State Finance Commission Adjustment (DLB)	3111	राज्य वित्त आयोग समायोजन (डीएलबी)	14	19954.07	0.00	0.00	16950.00
3111	AMRUT/ Smart City Etc	3111	अमृत/कानपुर सर्माट सिटी/आदि	15	8277.11	1120.00	24.95	10924.00
	TOTAL -F-		**योग (र)**	**15**	**28231.18**	**1120.00**	**24.95**	**27874.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Expenses (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	**15**	**109331.34**	**108977.85**	**69438.08**	**160508.45**
3401	Less :- Outstanding dues / Suspenses	3401	घटायें :– देयतायें/उचन्त खाते	15	-1178.40	0.00	3495.48	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		**शुद्व राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय**	**15**	**110509.74**	**108977.85**	**65942.60**	**160508.45**
4502	Closing Balance	4502	अन्तिम अवशेष :–	15	45022.58	30252.32	44443.22	30322.82
	Grand Total		**महायोग**	**15**	**155532.32**	**139230.17**	**110385.82**	**190831.27**

.... सर्वसम्मति से नगर निगम के मूल बजट 2023–24 के आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 160578.95 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष की धनराशि रू0 30252.32 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 190831. 27 लाख तथा व्यय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 160508.45 लाख एवं अन्तिम अवशेष की धनराशि रू0 30322.82 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 190831.27 लाख दर्शायी गयी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(रू0 लाख में)

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2023–24

Account Code	**S.N**	**Account Head**	**लेखा शीर्षक**	**लेखा मद**	**वास्तविक आय 2021–22**	**प्रस्तावित आय 2022–23**	**वास्तविक आय दिसम्बर, 2022**	**प्रस्तावित आय 2023–24**
	A	**Revenue Income**	_	**राजस्व आय –**				
1100201		Water Tax	1100201	जलकर	7093.89	8650.00	4363.00	10140.00
1501011		Additional Water Charge/Minimum Charge	1501011	अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1856.32	2810.00	954.68	3200.00
1100301		Sewer Tax and minimum charges	1100301	सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	2842.74	3750.00	1638.09	4400.00
1408002		Other receipts	1408002	अन्य प्राप्तियाँ	28.88	31.00	24.03	35.00
1408001		Surcharge	1408001	अधिभार	16.86	25.00	35.06	45.00
1401502		Regularization	1401502	नियमितीकरण	8.20	22.00	21.36	25.00

1401401		Development Charge	1401401	विकास शुल्क	50.41	135.00	80.06	155.00
		Total Revenue Income		**योग राजस्व आय–**	**11897.30**	**15423.00**	**7116.28**	**18000.00**
3111000	**B**	**Earmarked Fund**	_	**कार्य विशेष निधियां**				
		Deposit work	3111301	डिपाजिट कार्य				
3111001	**1**	MP/MLA Fund		सांसद/विधायक निधि	345.97	400.00	346.36	450.00
3111002	**2**	Infrastructure Fund		अवस्थापना निधि	0.00	100.00	0.00	100.00
3111003	**3**	K.N.N. Scheme		के0एन0एन0 योजना	0.00	50.00	0.00	50.00
3111004	**4**	KDA Fund		के0डी0ए0 फण्ड	28.00	800.00	0.00	850.00
3111005	**5**	14th/15th Finance Commission		14वां/15वां वित्त आयोग	2500.00	4000.00	2613.45	5650.00
3111006	**6**	State Finance Commission		राज्य वित्त आयोग	0.00	100.00	0.00	100.00
3112301	**7**	Grant(Power & Expenses)	3112301	अनुदान (विधुत एवं व्यय)	4775.21	4200.00	0.00	4500.00
		Total Capital Income		**योग पूंजीगत आय–**	**7649.18**	**9650.00**	**2959.81**	**11700.00**
	C	Salary Grant(5th State Finance Commission)		वेतन अनुदान (पंचम राज्य वित्त आयोग)	3600.00	3600.00	0.00	0.00
		Sum(A+B+C)		**योग–(क+ख+ग)**	**23146.48**	**28673.00**	**10076.09**	**29700.00**
		Opening Balance		प्रारम्भिक अवशेष	6312.76	4799.00	4206.63	6644.00
		Grand Total		**महायोग –**	**29459.24**	**33472.00**	**14282.72**	**36344.00**

जलकल विभाग नगर निगम कानपुर

<u>प्रस्तावित वार्षिक बजट वर्ष 2023–24</u>

(रू0 लाख में)

Account Code	**S.N.**	**Account Head**	**लेखा शीर्षक**	**लेखा मद**	**वास्तविक व्यय 2021–22**	**प्रस्तावित व्यय 2022–23**	**वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2022**	**प्रस्तावित व्यय 2023–24**
	A	**Revenue Expenditure**	_	**राजस्व व्यय –**				
2101001	1	Establishment Expenses	2101001	अधिष्ठान व्यय	11692.88	13742.00	7400.07	11445.00
2303004	2	Supplies of Material	2303004	सामग्रियों की आपूर्ति	560.86	990.00	339.20	1222.00
2308007	3	Administrative Expenses	2308007	प्रशासनिक व्यय	124.00	140.00	62.65	250.00

2305006	4	Operation & Maintenance	2305006	संचालन एवं रख–रखाव व्यय	1511.45	1820.00	1377.03	3470.00
2208003	5	Expenses General Tax (Adjustment)	2208003	जनरल टैक्स (समायोजन)	0.00	400.00	0.00	200.00
		Total Revenue Expenditure		**योग राजस्व व्यय–**	**13889.19**	**17092.00**	**9178.95**	**16587.00**
	B	**Capital Expenditure**		**पूंजीगत व्यय –**				
4104007	1	Purchase of water measuring instruments	4104007	जल मापक यन्त्रों का क्रय	0.00	5.00	0.00	5.00
4106001	2	Purchase of machines and equipment	4106001	मशीनों तथा यन्त्रों का क्रय	23.50	27.00	24.00	27.00
4107001	3	Furniture and computer purchases	4107001	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	14.20	18.00	15.00	100.00
4105001	4	Vehicles, Tractors, Tanker purchases	4105001	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	0.00	0.00	0.00	100.00
4102001	5	Building construction and land	4102001	भवन निर्माण एवं भूमि	19.80	25.00	23.00	100.00
4107006	6	Contigent capital expenditure	4107006	आकस्मिक पूंजीगत व्यय	0.00	6.00	0.00	50.00
4103101	7	Laying of new pipelines (water)	4103101	नई नलिकायें बिछाना (जल)	19.10	25.00	24.50	350.00
4103102	8	Laying of new pipelines (sewer)	4103102	नई नलिकायें बिछाना (सीवर)	0.00	0.00	0.00	350.00
4104003	9	Purchase of new pumping/motor pump	4104003	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	19.80	25.00	24.30	75.00
		Total Capital Expenses		**योग पूंजीगत व्यय –**	**96.40**	**131.00**	**110.80**	**1157.00**
		Total Revenue & Capital Expenses		**योग राजस्व एवं पूंजीगत व्यय –**	**13985.59**	**17223.00**	**9289.75**	**17744.00**
3111000	**C**	**Earmarked Fund**	3111000	**कार्य विशेष निधियां**				
		Deposit work		डिपाजिट कार्य				
3111001	1	MP/MLA Fund	3111001	सांसद/विधायक निधि	365.36	400.00	169.44	450.00
3111002	2	Infrastructure Fund	3111002	अवस्थापना निधि	8.25	100.00	0.00	100.00
3111003	3	K.N.N. Scheme	3111003	के0एन0एन0 योजना	26.30	50.00	2.98	50.00
3111004	4	KDA Fund	3111004	के0डी0ए0 फण्ड	462.08	800.00	376.29	850.00
3111005	5	14th/15th Finance Commission	3111005	14वां/15वां वित्त आयोग	1643.08	4000.00	4194.23	5650.00
3111006	6	State Finance Commission	3111006	राज्य वित्त आयोग	4.17	100.00	0.00	100.00
31120301	7	Grant (Power & Expenditure)	31120301	अनुदान (विधुत एवं व्यय)	4775.21	4200.00	0.00	4500.00
		Total Expenditure		**कुल व्यय –**	**7284.45**	**9650.00**	**4742.94**	**11700.00**
		Grand Total (A+B+C) Expenses		**कुल योग (अ+ब+स) व्यय**	**21270.04**	**26873.00**	**14032.69**	**29444.00**

		Closing Balance		अन्तिम अवशेष	8189.20		6599.00		250.03		6900.00
		Grand Total		**महायोग**	**29459.24**		**33472.00**		**14282.72**		**36344.00**

.... सर्वसम्मति से जलकल विभाग के मूल बजट 2023–24 के आय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 29700.00 लाख, प्रारम्भिक अवशेष धनराशि रू0 6644.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 36344.00 तथा व्यय पक्ष में दर्शायी गयी धनराशि रू0 29444.00 लाख, अन्तिम अवशेष की धनराशि रू0 6900.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 36344.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

प्रस्ताव संख्या –02

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का संख्या–03 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या– 336/3/प दिनांक 30.06.2023 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित

प्रस्ताव

नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :–

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन स्वामी/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु मा0 सदन की समयावधि समाप्ति होने एवं नई मा0 सदन के गठन न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक इन करदाताओं को प्रोत्साहित करने एवं नगर निगम की सतत् राजस्व वसूली को दृष्टिगत रखते हुये, तत्समय जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय के अनुमोदनोपरान्त 10 प्रतिशत छूट प्रदान की गई, पर मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन की स्वीकृति एवं तदोपरान्त नगर आयुक्त को प्रत्येक माह एक–एक माह के लिये अधिकतम माह दिसम्बर 2023 तक के लिये 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

..............तद्नुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या –03

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–14 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

श्री अभिषेक गुप्ता, पार्षद, वार्ड–101, चौक सर्राफा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषयः– कानपुर महानगर के अन्तर्गत पेड़ कटिंग के लिये टीमो की नियुक्ति।

अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अन्तरगत आधी, पानी व बहुत लटके हुए पेड़ो कटाई के लिए दो टीमों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। वर्तमान मे पेड़ कटाई के लिए कोई टीम नगर निगम मे उपलब्ध नहीं है।

अतः स्वीकृति प्रदान करे।

.... तद्नुसार टीम बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>प्रस्ताव संख्या –04</u>

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–21 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

श्री हरि ओम वाल्मीकि, महामंत्री, कर्मचारी संयुक्त संघ के द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : कानपुर नगर निगम व जलकल विभाग में कार्यरत संविदा/एवजदार (मार्ग प्रकाश) एवं समस्त आउटसोर्सिंग कर्मियों की आकस्मिक दुर्घटना व मृत्यु होने पर अनुदान स्वरूप बीमा धनराशि रू0 5,00,000/–स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संघ आपका ध्यान कानपुर नगर निगम में कार्यरत संविदा एवजदार व आउटसोर्सिंग कर्मियों की ओर आकर्षित करना चाहता है। जो पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी से कार्य को सम्पादित करते है, परन्तु इन कर्मचारियों के साथ्ज्ञ आकस्मिक दुर्घटना व मृत्यु होने के उपरान्त कोई अनुदान व बीमा धनराशि प्राप्त न होने के कारण इनके परिवार के लोगों को कर्जा इत्यादि लेकर इनका अन्तिम संस्कार व अन्य कार्यक्रम तथा परिवार का पालन करने में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो कि अत्याधिक खेद का विषय है।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जैसे गाड़ी चालक, माली, सफाई कर्मचारी, कम्प्यूटर आपरेटर, एवजदार (मार्ग प्रकाश) व अन्य आउटसोर्सिंग कर्मी जो सरकारी कार्य के दौरान दुर्घटना/मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप इन कर्मियों को अनुदान व बीमा धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती है।

अतः संघ आपसे अनुरोध के साथ प्रार्थना करता है कि कानपुर नगर निगम/जलकल विभाग में उपरोक्त कर्मियों की दुर्घटना व आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुदान स्वरूप बीमा की राशि रू0 5,00,000/– करने व समस्त कर्मियों का बीमा कार्ड दिलाये जाने की कृपा करें।

..................तद्नुसार शासनादेश में उल्लिखित नियमों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया जाये।

<u>प्रस्ताव संख्या – 05</u>

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–23 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप) एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

वर्तमान में नगर निगम कानपुर के पास इनोवा गाड़ी संख्या– 0752 जो कि नगर आयुक्त महोदय को आवंटित है। उक्त गाड़ी वर्तमान समय में काफी पुरानी होने के कारण मरम्मत में काफी व्यय करना पड़ रहा है।

अतः उक्त गाड़ी के स्थान पर एक नयी इनोवा गाड़ी नगर निगम निधि से क्रय करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित।

.................उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव संख्या –06</u>

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–24 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

वर्तमान में नगर निगम कानपुर के पास इनोवा गाड़ी संख्या– 0756 जो कि माननीय महापौर महोदया को आवंटित है। उक्त गाड़ी वर्तमान समय में काफी पुरानी होने के कारण मरम्मत में काफी व्यय करना पड़ रहा है।

अतः उक्त गाड़ी के स्थान पर एक नयी इनोवा गाड़ी नगर निगम निधि से क्रय करने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित।

.............उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव संख्या –07</u>

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–26 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

कृपया कानपुर नगर निगम में अवर अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष पदस्थ अवर अभियन्ताओं की संख्या अत्यधिक कम है। वर्तमान में शहर काफी विस्तृत और कार्यक्षेत्र बढ़ जाने के कारण कार्यहित में विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों मे ं10 अवर अभियन्ताओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदस्थ किये जाने हेतु निर्णयार्थ/स्वीकृतार्थ मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है :–

तत्क्रम में उपरोक्तानुसार विभिन्न अभियन्त्रण खण्डों हेतु 10 अवर अभियन्ताओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पदस्थ किये जाने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मुख्य अभियन्ता ''सिविल'' ने अवगत कराया कि अभियन्त्रण विभाग में 60 अवर अभियन्ता के पद है। सृजित पदों के सापेक्ष मात्र 13 अवर अभियन्ता कार्यरत है, जिसमें 02 अवर अभियन्ता अंडर ट्रांसफर है। जोन –02 में कार्यरत एक अवर अभियन्ता को मलेरिया हो गया है। हम किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते है।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए मा0 महापौर एवं नगर आयुक्त को चयन हेतु अधिकृत किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या –08</u>

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–27 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

पत्रांक :– डी/ 302 बी /कै0कै0/23–24 दिनांक :–04/07/2023

<u>कान्हा उपवन किशनपुर के पास पड़ी रिक्त भूमि पर डॉग केयर सेंटर का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव</u>

वर्तमान में जनप्रतिनिधियों, सामान्य नागरिको एवं विभिन्न माध्यमों से पागल श्वानों, मानव एवं श्वानों के बीच संघर्ष की शिकायते प्राप्त हो रही है, जिसमें आवारा श्वानो को क्षेत्र से हटाये जाने हेतु कहा गया है, जिसे समाधान

हेतु एक डॉग केयर सेन्टर की अत्यंत आवश्यकता है। शासन स्तर से भी नगर निगमो में डॉग केयर सेन्टर का निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। कान्हा गौशाला, किशनपुर के पास पड़ी रिक्त भूमि पर एक डॉग केयर सेन्टर की स्थापना कराया जा सकता है। डॉग केयर सेन्टर की स्थापना पर लगभग 01 करोड़ का व्यय अनुमानित है, जहॉ पर 400 श्वानो को संरक्षित करने एवं उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

.... तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन से अनुमति हेतु अग्रसारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या –09

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–28 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

पत्रांक :– डी/ 302 ए /कै0कै0/23–24 दिनांक :–04/07/2023

नगर निगम सीमा में विभिन्न प्रजाति के बिल्लियों को पालने पर रजिस्ट्रेशन कराये जाने का प्रस्ताव

नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की बिल्लियों को पालने का प्रचलन बड़ रहा है। नगर निगम सीमान्तर्गत निवास कर रहे नागरिको द्वारा देशी/विदेशी नस्लो की बिल्लियो को बिना मानक के संरक्षित किया जा रहा है, जिससे पड़ोसियो/मोहल्ले वासियो को विभिन्न कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम अधिनियम 1959 में लाइसेन्स लिये जाने का प्राविधान है। नगर निगम क्षेत्र में बिल्लियो को पालने हेतु नगर निगम कानपुर से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त प्रजाति की बिल्लियो को पालने हेतु प्रति बिल्ली धनराशि रू0 300.00 रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के समय बिल्ली का लाइसेन्स न दिखाने पर धनराशि रू0 5000.00 का जुर्माना लगाया जायेगा अन्यथा की स्थिति में बिल्ली को जब्त किये जाने का प्राविधान है।

.... तद्नुसार नियमानुसार जुर्माना हेतु स्वीकृति प्रदन की गयी।

प्रस्ताव संख्या –10

दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–29 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–

पत्रांकः 72/2/प दिनांकः 04.07.2023

प्रस्ताव

कानपुर नगर निगम द्वारा 07 माध्यमिक विद्यालय, 04 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 01 गॉधी संगीत महाविद्यालय संचालित है, जो काफी पुरानी एवं जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनमें से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चुन्नीगंज में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जीर्णोद्धार किया जा रहा है। शेष विद्यालयों में जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है। जिससे नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने के साथ ही शहर वासियों को सुरक्षित विद्यालय एवं अच्छी शिक्षा मुहैया करायी जा सके। नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :–

क. सं.	विद्यालय का नाम	संचालित कक्षायें	टिप्पणी

1	महिला इण्टर कालेज सिविल लाइन्स	कक्षा 6 से 12तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
2	महिला इण्टर कालेज तिलक नगर	कक्षा 6 से 12तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
3	महिला इण्टर कालेज हीरामनपुरवा	कक्षा 6 से 12तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
4	आर.बी.आर.डी.इ.का. नवाबगंज	कक्षा 6 से 12तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
5	गांधी स्मा.इ.कालेज गोविन्द नगर	कक्षा 6 से 12तक बालक	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
6	श्री रतन शुक्ल इ.कालेज जूही	कक्षा 6 से 12तक बालक	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
7	डी.पी.एस. इण्टर कालेज नवाबगंज	कक्षा 6 से 12तक बालक	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
8	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुन्नीगंज	कक्षा 1 से 5 तक बालक/बालिका कक्षा 6 से 12 तक बालिका	**स्मार्ट सिटी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है।**
9	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काकोदव	कक्षा 1 से 5 तक बालक/बालिका कक्षा 6 से 12 तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
10	उच्चतर माध्यमिक वि0 किदवई नगर	कक्षा 6 से 12 तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
11	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जूही	,,	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।
12	गांधी संगीत महाविद्या0 सिविल लाइन्स	प्रारम्भिक से अलंकार तक बालक/बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।

अतः छात्रहित एवं विद्यालय हित में उपरोक्त 11 विद्यालयों में जीर्णोद्धार कार्य कराये जाने की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि चूँकि स्कूली बच्चों के लिये स्पोर्टस सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये बहुत कम स्थान है। भारत सरकार भी खेलो इंडिया खेलो के तहत बच्चो में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाया जा रहा हैं। कानपुर में भी स्कूलों बच्चो में खेल प्रतिभाओ के विकास की आवश्यकता है।

.... तद्नुसार 'खेलो इंडिया खेलो' के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, काकादेव को पी0पी0पी0/स्मार्ट सिटी/अवस्थाना निधि से स्पोर्टस स्कूल के रूप में पुनरूद्धार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0– 11</u>

उद्यान विभाग के प्रस्ताव पर नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

नगर निगम सीमान्तर्गत पार्को/डिवाइडरों एवं ग्रीन बेल्टों को हरा भरा करने, शहर की हरितमा को बनाये रखने एवं उद्यान विभाग में माली कर्मियों की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत मा0 सदन के समक्ष स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है :–

1. पूर्व में शहर के क्षेत्रफल एवं पार्को की संख्या को देखते हुए उद्यान विभाग में 273 माली कर्मी के पद शासन द्वारा सृजित किये गये है। वर्तमान समय में विभाग मे 77 नियमित एवं 171 आउटसोर्स माली कर्मी कार्यरत है। अतः शेष रिक्त 25 माली कर्मी की आपूर्ति सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जाने की स्वीकृति प्रस्ताव प्रस्तुत है।
2. वर्तमान समय में शहर के क्षेत्रफल में काफी विस्तार हुआ है साथ ही पार्को की संख्या भी लगभग 06 गुना बढ़ गयी है। उक्त के दृष्टिगत वर्तमान समय में पार्को/डिवाइडरों/ग्रीनबेल्टों में 1150 माली/मजदूर (अकुशल) कर्मचारियों की आवश्कता है। अतः शासन द्वारा सृजित किये गये 273 माली पद को 1150 सृजित पद में बढ़ाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।
3. फूलबाग स्थित श्याम लाल गुप्त चिल्ड्रेन पार्क का विकास कार्य कानपुर स्मार्ट सिटी लि0 द्वारा किया गया है। इस पार्क का रख–रखाव कानपुर नगर निगम द्वारा किया जाना है। पार्क का रख–रखाव किये जाने में धन की आवश्यकता होगी। उचित होगा कि उक्त पार्क के संचालन हेतु कारगिल पार्क व नानाराव पार्क की भांति पार्क में प्रवेश हेतु बड़ो से रू0 10/– व बच्चों से रू0 05/– प्रवेश शुल्क लिया जाये।

अतः फूलबाग स्थित श्याम लाल गुप्ता चिल्ड्रेन पार्क में प्रवेश हेतु बड़ो से रू0 10/– व बच्चों से रू0 05/– प्रवेश शुल्क लागू किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

अध्यक्ष ने कहा कि क्या कारगिल पार्क में बने वॉटर पार्क में शुल्क की अनुमति मा0 सदन से ली गयी है।

......................आख्या सहित प्रस्ताव अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करें।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 12</u>

पत्रांक : 539/2023–24/क **दिनांक 25.08.2023**

प्रभारी अधिकारी ''कार्मिक'' के प्रस्ताव पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मा0 सदन की बैठक दिनांक 26.08.2023 हेतु टेबुल प्रस्ताव
प्रत्येक जोन में 05–05 भूतपूर्व सैनिक रखे जाने के सम्बन्ध में

नगर निगम, कानपुर के जोनों में प्रतिदिन अतिक्रमण, कर वसूली, अवैध विज्ञापन, नाला–नाली पर अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था में जुर्माना इत्यादि कार्यो में नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों को अभियान में असामाजिक तत्वों एवं अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है।

उक्त अभियानों में सुरक्षा के दृष्टिगत नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सुरक्षा हेतु 05–05 भूतपूर्व सैनिक (गन सहित) कुल 30 सैनिकों की आवश्यकता है। उक्त सैनिक जोनल कार्यालय में तैनात रहेंगें एवं नगर निगम के राजस्व, अभियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सभी जोन में आवश्यकतानुसार अभियान पर जायेंगे। इन सैनिकों के वेतन पर लगभग 9,00,000.00 (लगभग रूपये 9 लाख) का व्ययभार प्रतिमाह आयेगा।

अतएव नगर निगम के प्रत्येक जोन हेतु 05–05 कुल 30 भूतपूर्व सैनिक उ0प्र0 सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से रखे जाने हेतु मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है।

..............तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 13</u>

अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट) के प्रस्ताव पर नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में स्विमिंग पुल का निर्माण कराया गया है। स्विमिंग पुल के निर्माण के पश्चात् पुल का सफलतापूर्वक रख–रखाव एवं संचालन अत्यन्त आवश्यक है।

अतः कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित स्विमिंग पुल के रख–रखाव व संचालन हेतु कानपुर नगर निगम द्वारा निविदा कराये जाने व संचालन एवं रख–रखाव हेतु अनुमति कानपुर नगर निगम की शर्तो के अनुसार प्रदान करने हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष सादर स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... विस्तृत विवरण सहित आगामी मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करें।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 14

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1959 की धारा 154 में निहित ऋण लेने की शक्तियों के अन्तर्गत नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1960/नौ–9–22–58 ज/ 18टी0सी0 दिनांक 28.09. 2022के द्वारा नगर निगम, कानपुर को म्युनिसिपल बॉण्ड जारी करने के निर्देश दिये गये हैं तथा विभिन्न बैठकों मे प्रगति की समीक्षा भी की जा रही है। म्युनिसिपल बॉण्ड के अन्तर्गत केन्द्रीय नियामक संस्था द्वारा निर्गत सेबी के अधिनियमों एवं शर्तो के अनुपालन से कर्मचारियों की क्षमता निर्माण में मदद होती है, वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता मे वृद्धि होने के साथ–साथ सुशासन लाने में मदद मिलती है। म्युनिसिपल बॉण्ड को जारी करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियांवित करने और बाण्ड की परिपवक्ता तक के पोस्ट इश्यू कम्प्लायंस के अनुपालन हेतु नगर आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं की अध्यक्षता में दिनांक 10.11.2022 को एक बॉण्ड समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य (पदनाम द्वारा सदस्य) वर्तमान में शामिल हैंः–

01. नगर आयुक्त – अध्यक्ष
02. अपर नगर आयुक्त – सदस्य
03. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी – नोडल अधिकारी
04. मुख्य अभियन्ता (सिविल) – सदस्य
05. महाप्रबन्धक, जलकल – सदस्य
06. मुख्य नगर लेखा परीक्षक – सदस्य
07. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी – सदस्य

नगर निगम की ओर से समिति के अध्यक्ष नगर आयुक्त महोदय के पास सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने एवं आवश्यक अनुबन्ध करने के अधिकार निहित होंगे। नगर आयुक्त इन शक्तियों को नगर निगम के किसी अन्य अधिकारी को भी सौंप सकता है, जो कि अपर नगर आयुक्त/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के पद से नीचे का न हो।

म्युनिसिपल बॉण्ड की धनराशि का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत सीवरेज व जलापूर्ति परियोजनाओं के आर्थिक क्रियान्वयन हेतु निकाय अंश के रूप मे किया जायेगा, का विवरण निम्नवत् है–

अ– कानपुर नगर के डिस्ट्रिक्ट–2 पार्ट–डी मे सीवरेज का कार्य

प्रोजेक्ट लागत	रू0–483.00 करोड़
निकाय अंश 30 प्रतिशत	रू0–145.00 करोड़

इस योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर मे भूजल प्रदूषण मे कमी के साथ ही कई भवनों का सीवरेज कनेक्शन करते हुए प्रदूषित जल निकासी मार्ग स्थापित करते हुए एस0टी0पी0 तक पहुँचा कर संशोधन उपरान्त निस्तारित किया जा सकेगा। जिससे विभिन्न प्रकार के प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों मे कमी आयेगी तथा नगर निगम क्षेत्र के लगभग 5.60 लाख निवासी लाभान्वित होंगे।

ब– कानपुर नगर के पश्चिम क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट पार्ट–बी) मे जलापूर्ति पाइलपालन विस्तार

प्रोजेक्ट लागत	रू0–187.00 करोड़
निकाय अंश 30 प्रतिशत	रू0–56.00 करोड़

इस योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर के वार्ड सं0–18, 20, 32, 33, व 44 मे 06 ओवर हेड टैंक, 08 पम्पिंग प्लांट एवं 01 आई0पी0एस की स्थापना व 308174 मी0 पाइप लाइन बिछाना प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों के अन्तर्गत लगभग 31714 भवनों की जलापूर्ति की व्यस्था प्रस्तावित है।

सेबी गाइडलाइन्स के अनुसार योजनओं की लागत का लगभग 80 प्रतिशत म्यूनिसिपल बाण्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त योजनाओं मे वांछित 30 प्रतिशत निकाय अंश लगभग रू0–201.00 करोड़ (रू0–145.00 करोड़ +रू0–56.00 करोड़) मे से लगभग रू0–100 करोड़ की धनराशि निम्नानुसार म्युनिसिपल बाण्ड जारी करते हुए प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है–

(धनराशि करोड़ में)

क्र0	परियोजनाओं का विवरण	कुल प्रस्तावित व्यय	निकाय अंश 30%	बॉड के माध्यम से ऋण ली जानें वाली धनराशि
1	कानपुर नगर के डिस्ट्रिक्ट–2 पार्ट–डी मे सीवरेज का कार्य	483.00	145.00	60.00
2	कानपुर नगर के पश्चिम क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट पार्ट–बी) मे जलापूर्ति पाइलपालन विस्तार	187.00	56.00	40.00
	कुल धनराशि	**670.00**	**201.00**	**100.00**

नगर निगम द्वारा इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक तैयारिया जिनमे कंसलटेन्ट, मर्चेन्ट बैंकर सह ट्रान्जेक्शन एडवाइसर आदि को डयू डिलिजेन्स व फंड एकत्रित किये जाने हेतु सेबी गाइडलाइन के अनुसार कार्य किये जाने हेतु चयनित किया जा चुका है उपरोक्त म्यूनिसिपल बाण्ड जारी करने से नगर निगम को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होगें।

01. बाण्ड जारी किये जाने की प्रकिया सेबी रेगुलेशन एक्ट के अनुसार होगी जिसका अनुपालन बाण्ड जारी करने वाले नगर निगमों को किया जाना अनिवार्य है।
02. उक्त नियमो के अनुपालन करने से नगर निगम में वित्तीय अनुशासन बेहतर प्रोजेक्ट मानीटरिंग के साथ–साथ नगर निगम को आत्म निर्भर बनाने में सहयोग करेगी।
03. म्यूनिसिपल बाण्ड जारी किये जाने से कानपुर नगर को अन्तराष्ट्रीय निवेशकर्ताओ को ध्यान कानपुर नगर हेतु आकर्षित होगा।

04. बाण्ड के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि को योजनाओ में निवेश करने से नगर निगम के अपने श्रोतो से प्राप्त हो रही आय अन्य आन्तरिक विकास कार्यो हेतु सुलभ रूप से उपलब्ध रहेगी।
05. म्यूनिसिपल बाण्ड के माध्यम से शहर हेतु अन्य बड़े प्रोजेक्ट को प्रारम्भ करने हेतु विकल्प खुलेगें जो कि सामान्यतः सीमित वित्तीय श्रोतो के कारण पूर्व मे नही किये जा सके है।

मा0 सदन से उपरोक्त लगभग रू0–100 करोड़ रूपये के म्युनिसिपल बाण्ड (अधिकतम सीमा 125 करोड़ रूपये तक) जारी करने हेतु तथा उपरोक्त बॉण्ड कमेटी को सदन एवं निगम की ओर से बॉण्ड जारी करने, सूचीबद्व कराने एवं आवंटित करने तथा बॉण्ड जारी होने के पश्चात कम्प्लायंस हेतु समस्त निर्णय लेने का अनुमोदन माननीय सदन से अपेक्षितहै। यह बॉण्ड कमेटी समय–समय पर जारी उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह और निर्देशों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय संख्या VIII के खण्ड 154 के अनुसार नगर निगम राज्य सरकार के अनुमोदन से डिबेंचर/बॉण्ड जारी कर ऋण ले सकता है। राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन में ऋण का उद्देश्य और धनराशि एवं अन्य शर्तें, जिसमें बॉण्ड की अवधि एवं बॉण्ड ऋण चुकाये जाने की अवधि सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, नगर निगम अधिनियम के खण्ड 154 के तहत नगर निगम में निहित किसी भी अचल सम्पत्ति के बंधक पर बॉण्ड/डिबेंचर जारी कर सकता है तथा नगर निगम द्वारा लगाये जाने वाले समस्त करों, शुल्कों आदि का उपयोग उक्त ऋण की नियमानुसार सुरक्षा व्याप्ति कवरेज हेतु किया जा सकता है। The SEBI (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations 2015, के प्राविधानों के अन्तर्गत में म्युनिसिपल बॉरोअर को ऋण धनराशि का कम से कम 100 प्रतिशत asset cover रखना अनिवार्य है। अतः माननीय सदन से नगर निगम की ऐसी किसी अचल सम्पत्ति को बॉण्ड ट्रस्टी/निवेशकों के पक्ष में बंधक के लिये माननीय सदन की सहमति/स्वीकृति भी अपेक्षित है। ऐसी अचल सम्पत्ति को बॉण्ड कमेटी उचित समय पर चिन्हित कर बॉण्ड ट्रस्टी/निवेशकों के पक्ष में बंधक करेगी। इसके अतिरिक्त बाण्ड जारी किये जाने की प्रकिया में आवश्यक विभिन्न संस्थाओ जैसे स्टाक एक्सचेंन्ज, ट्रस्टी, आर0टी0ए0,सी0आर0ए0 व अन्य सलाहकार आदि को बाण्ड समिति द्वारा नामिनेशन के आधार पर चयनित/नियुक्त किये जाने की भी अनुमति आवश्यक है जैसा कि विभिन्न नगर निगमो प्रमुखतः लखनऊ व गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किया गया है। म्युनिसिपल बॉण्ड निर्गत करने के क्रम में राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करनें हेतु उक्त प्रस्ताव को सदन से अनुमोदन प्राप्त कर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है।

अतः उक्त प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि पिछले सदन के दौरान अवगत कराया गया था जल निगम द्वारा जो भी कार्य पूर्व में जनहित में कराये गये है, वह अत्यन्त निम्न कोटि की गुणवत्ता के है। इसकी जॉच होना आवश्यक है साथ ही वर्तमान में 100 करोड़ का म्यूनिसिपल बांड नगर निगम की सम्पत्ति गिरवी रख कर जल निगम दिया जा रहा है। जल निगम ने इस शहर के साथ बेईमानी की है। जल निगम को 100 करोड़ की धनराशि दी जा रही है, वह सही नहीं है। यदि ब्याज भुगतान करने में देरी होगी, तो नगर निगम की जिम्मेदारी होगी। 100 करोड़ नगर निगम जल निगम को उपलब्ध करायेगा। जल निगम द्वारा कानपुर नगर में सीवेज, जलापूर्ति लाईन की गयी भारी वित्तीय अनियमितता के कारण नाकामी हमारे सामने है, जिस जल निगम का बजट मात्र 07 करोड़ है, उसे बढ़ाकर 120 कर दिया गया, जिसके कारण फव्वारे सड़क से निकल रहे है। सीवेज से सड़के खराब हो गयी। अब जलापूर्ति लाईन बदलने के लिये नया शिगूफा ले आये। यदि जल निगम की जगह नगर निगम अपनी सम्पत्तियों पर कार्य करें, तो काफी धन आयेगा, जैसे –बी0पी0 श्रीवास्तव मार्केट, महिला मार्केट। ई0ई0एस0एल0 आने के समय मैने कहा कि नगर निगम के साथ धोखा होगा, अब धोखा हो गया। नमामि गंगे, अमृत योजना, हर घर जल योजना के बारे में लोगों को कुछ नहीं मालूम।

नगर आयुक्त श्री शिवशरणप्पा जीएन ने अवगत कराया कि शासन द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड कानपुर, आगरा, वाराणसी व प्रयागराज में लागू करने के निर्देश दिये गये है। हम लोगों को भारत सरकार से विकास कार्य हेतु धन लेने के लिये 30 प्रतिशत शेयर मनी देना होता है। म्यूनिसिपल बॉड के कारण 13 करोड़ अनुदान भी मिलेगा एवं 35 करोड़ अलग से विकास कार्य के लिये मिलेगा। शासन से स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही कार्य हो रहा है।

.... प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि नगर निगम को प्राप्त होने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि से जल निगम को भुगतान नहीं किया जायेगा तथा किसी प्रकार से उक्त धनराशि का समायोजन भी नहीं होगा।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 15

प्रभारी मुख्य अभियन्ता मार्ग प्रकाश द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मार्ग प्रकाश विभाग मे वर्तमान मे 07 हाइड्रोलिक लैडर विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध है। परन्तु यह सभी हाइड्रोलिक लैडर लगभग 10 वर्ष पुरानी है। आये दिन खराब होती रहती है, जिससे मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण का कार्य बाधित होता है। ऐसी स्थिति मे हाइड्रोलिक लैडर की अत्यन्त कमी है, जिसके लिये निम्न प्रकार से मार्ग प्रकाश हेतु हाइड्रोलिक लैडर क्रय करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

1. जोन–01 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00
2. जोन–02 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00

कुल धनांक रू0. 27,01,912.00

अतः नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत 02 नग हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज क्रय किये जाने हेतु कुल धनांक रू0. 27,01,912.00 की मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

............................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 16

प्रभारी मुख्य अभियन्ता मार्ग प्रकाश द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मार्ग प्रकाश विभाग मे वर्तमान मे 07 हाइड्रोलिक लैडर विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध है। परन्तु यह सभी हाइड्रोलिक लैडर लगभग 10 वर्ष पुरानी है। आये दिन खराब होती रहती है, जिससे मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण का कार्य बाधित होता है। ऐसी स्थिति मे हाइड्रोलिक लैडर की अत्यन्त कमी है, जिसके लिये निम्न प्रकार से मार्ग प्रकाश हेतु हाइड्रोलिक लैडर क्रय करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

1. जोन–03 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00
2. जोन–04 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00

कुल धनांक रू0. 27,01,912.00

अतः नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत 02 नग हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज क्रय किये जाने हेतु कुल धनांक रू0. 27,01,912.00 की मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.............................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 17

प्रभारी मुख्य अभियन्ता मार्ग प्रकाश द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मार्ग प्रकाश विभाग मे वर्तमान मे 07 हाइड्रोलिक लैडर विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध है। परन्तु यह सभी हाइड्रोलिक लैडर लगभग 10 वर्ष पुरानी है। आये दिन खराब होती रहती है, जिससे मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण का कार्य बाधित होता है। ऐसी स्थिति मे हाइड्रोलिक लैडर की अत्यन्त कमी है, जिसके लिये निम्न प्रकार से मार्ग प्रकाश हेतु हाइड्रोलिक लैडर क्रय करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

1. जोन–05 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00
2. जोन–06 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00

कुल धनांक रू0. 27,01,912.00

अतः नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत 02 नग हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज क्रय किये जाने हेतु कुल धनांक रू0. 27,01,912.00 की मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

...................................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 18

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषयः– नगर निगम के बारातशालाओं के किराये निर्धारण के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम के अन्तर्गत नगर निगम की बारातशालाओं को ई–निविदा के माध्यम से दिये जाने हेतु मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव दिया जाता है, जिसमें नगर निगम द्वारा निर्मित व हस्तान्तरित बारातशालाओं का संचालन सफल निविदा दाता द्वारा किया जायेगा जिससे नगर निगम की सम्पत्ति का संरक्षण/अनुरक्षण सुचारू रूप से हो सकेगा और कानपुर के आम जनमानस उसका लाभ ले सकें, जिस हेतु बारातशालाओं की ई–निविदा के लिये नियम व शर्तें निम्नवत हैं–

निविदा की नियम व शर्तें

1. निविदा पर दिये जाने हेतु जमानती धनराशि निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत् सफल निविदा दाता को जमा करानी होगी।
2. बारातशाला की निविदा प्राप्त होने पर कार्यादेश प्राप्त उपरान्त् सभी मानक पूर्ण करने पर व्यवसाय कर सकता है। व्यवसाय सामाजिक दृष्टि को देखते हुए करना होगा, मादक पदार्थ का सेवन इत्यादि प्रतिबन्धित होगा।
3. बारातशाला में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
4. बारातशाला में किसी प्रकार की टूट–फूट, पानी, विद्युत, रंगाई–पुताई आदि निविदादाता स्वयं के व्यय से करेगा परन्तु मरम्मत हेतु अनापत्ति मुख्य अभियन्ता कार्यालय, नगर निगम, कानपुर से प्राप्त करनी होगी।

5. बारातशाला की निविदा को विशेष परिस्थितियों में निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय में निहित होगा। निरस्तीकरण के आदेश उपरान्त् नियमानुसार जमा धनराशि आंगणित कर वापस कर दी जायेगी।
6. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में समस्त जिम्मेदारी संचालक की होगी।
7. सफल निविदा दाता को बारातशाला में अलग से विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग, कानपुर से लेना होगा।
8. बारातशाला जिस रूप में है उसी रूप में सफल निविदा दाता को स्वीकार करना होगा।
9. बारातशाला की निविदा 03 वर्ष के लिये होगी।
10. बारातशाला के व्यवसाय किये जाने से पूर्व नियमानुसार समस्त विभागों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन करना होगा।
11. बारातशाला में व्यवसाय के दौरान गाड़ियों आदि की पार्किंग व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के उत्तरदायित्व में करनी होगी।
12. बारातशाला पर निविदा दाता किसी भी प्रकार का होर्डिंग प्रचार नही करेगा केवल बारातशाला का बोर्ड लगा सकता है।
13. बारातशाला पर निविदा दाता सेनिटेशन का विशेष ध्यान रखेगा।
14. बारातशाला की सुरक्षा हेतु गार्ड की व्यवस्था निविदादाता स्वयं के व्यय से करेगा।
15. बारातशाला पर किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।
16. बारातशाला की ई–निविदा प्राप्त होने पर सफल निविदा दाता को एक सप्ताह में अनुबन्ध नियमानुसार धनराशि के स्टाम्प पेपर पर कराना होगा।
17. बारातशाला की ई–निविदा में भाग लेने हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी.एस.टी. नम्बर तथा नगर निगम, कानपुर के जोनल कार्यालय से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा कराना होगा।
18. बारातशाला की ई–निविदा प्राप्त होने पर निविदा दाता को जी.एस.टी. प्रभावी दर पर ली जायेगी।
19. बारातशाला की सर्वाधिक धनराशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति का अधिकार नगर आयुक्त महोदय का होगा।
20. बारातशाला में निविदादाता और नगर निगम, कानपुर के बीच किसी प्रकार वाद–विवाद पर अन्तिम निर्णय मा0 सदन का मान्य होगा।
21. सफल निविदादाता को व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व फायर सेफ्टी उपकरण लगाना होगा।
22. यदि शासन–प्रशासन द्वारा मतदान के दौरान बारातशाला की आवश्यकता होगी या बारातशाला निर्वाचन केन्द्र है तो प्रशासन को तत्समय बारातशाला निर्वाचन हेतु उपलब्ध करानी होगी जिसका कोई शुल्क नही दिया जायेगा और न ही कोई छूट प्रदान की जायेगी।
23. निविदादाता को बारातशाला के संचालन का लगभग 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, जिसका प्रमाण उसे ई–निविदा में जमा करना होगा।
24. सफल निविदादाता अन्य किसी को बारातशाला संचालन हेतु सबलेट नही करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा को स्वतः निरस्त माना जायेगा और जमानती धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
25. इन नियम व शर्तों के अतिरिक्त निविदा समिति ई–निविदा प्रकाशन के पूर्व अन्य शर्तें सम्मिलित कर सकती हैं और इस ई–निविदा को कराये जाने हेतु निविदा समिति मा0 महापौर जी व नगर आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त् ई–निविदा प्रकाशित करेगी।
26. विवाद या शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय मा0 महापौर जी का होगा।

.............तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष द्वारा सदन स्थगित किया गया।

—————————————————————

दिनांक–26.08.2023 को स्थगित एवं दिनांक 09.10.23 दिन सोमवार को अपराह्न 02.00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न मा0 सदन की बैठक में उपस्थिति।

		श्रीमती प्रमिला पाण्डेय	**मा0 महापौर**
1	1	श्री विकास साहू	पार्षद / सदस्य
2	2	श्रीमती कल्पना	पार्षद / सदस्य
3	4	श्री अंकित मौर्या	पार्षद / सदस्य
4	5	श्री आलोक पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
5	6	श्रीमती गुडिया	पार्षद / सदस्य
6	7	श्री अनिल कुमार	पार्षद / सदस्य
7	8	श्रीमती मन्जू कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
8	9	श्रीमती कविता	पार्षद / सदस्य
9	11	श्रीमती विजय लक्ष्मी यादव	पार्षद / सदस्य
10	12	श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद / सदस्य
11	13	श्री वीरेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य
12	14	श्रीमती शालू	पार्षद / सदस्य
13	15	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य
14	16	श्रीमती विद्या देवी	पार्षद / सदस्य
15	17	श्रीमती नीलम बाथम	पार्षद / सदस्य
16	18	श्रीमती आरती गौतम	पार्षद / सदस्य
17	19	श्रीमती ज्योति पासवान	पार्षद / सदस्य
18	20	श्री नीरज कुमार	पार्षद / सदस्य
19	21	श्री धीरेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
20	22	श्री शुभम वर्मा	पार्षद / सदस्य
21	23	श्री राम नारायण	पार्षद / सदस्य
22	24	श्री वेद प्रकाश	पार्षद / सदस्य
23	25	श्री नीरज सिंह	पार्षद / सदस्य
24	26	श्री नरोत्तम कुमार	पार्षद / सदस्य

25	27	श्री सुनील कुमार	पार्षद / सदस्य
26	28	श्री अशोक कुमार	पार्षद / सदस्य
27	29	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
28	30	श्री पवन कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
29	31	श्रीमती किरन	पार्षद / सदस्य
30	33	श्री घनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य
31	34	श्री नीरज कुमार गुप्ता	पार्षद / सदस्य
32	36	श्रीमती मन्जू पाल	पार्षद / सदस्य
33	37	श्री पवन गुप्ता	पार्षद / सदस्य
34	38	श्री हरी स्वरूप तिवारी	पार्षद / सदस्य
35	39	श्री मनीष्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
36	40	श्री महेन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
37	41	श्रीमती दीप्ती तिवारी	पार्षद / सदस्य
38	42	श्री जीतेन्द्र बाजपेयी	पार्षद / सदस्य
39	43	श्री राज किशोर यादव	पार्षद / सदस्य
40	44	श्रीमती कुन्ती	पार्षद / सदस्य
41	45	श्रीमती रेनू अर्पित यादव	पार्षद / सदस्य
42	46	श्रीमती क्षमा शुक्ला	पार्षद / सदस्य
43	47	श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
44	48	श्रीमती सरोज चड्ढा	पार्षद / सदस्य
45	50	श्रीमती अनुप्रिया दुबे	पार्षद / सदस्य
46	51	श्री सुधीर यादव	पार्षद / सदस्य
47	52	श्री धीरन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
48	53	श्रीमती नित्या बाजपेयी	पार्षद / सदस्य
49	54	श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद / सदस्य
50	55	श्रीमती अन्जुली दीक्षित	पार्षद / सदस्य
51	56	श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य

52	57	श्रीमती आरती त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
53	58	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
54	59	श्री गोविन्द मोहन शुक्ला	पार्षद / सदस्य
55	61	श्री अरूण कुमार गर्ग	पार्षद / सदस्य
56	62	श्री भवानी शंकर राय	पार्षद / सदस्य
57	63	श्रीमती स्वेता गुप्ता	पार्षद / सदस्य
58	64	श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
59	65	श्री योगेन्द्र शर्मा	पार्षद / सदस्य
60	66	श्री अभिनव शुक्ला	पार्षद / सदस्य
61	67	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
62	68	श्रीमती अजरा बेगम	पार्षद / सदस्य
63	69	श्री अविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
64	70	श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
65	71	श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
66	72	श्रीमती वन्दना शर्मा	पार्षद / सदस्य
67	73	श्री नूरेन अहमद	पार्षद / सदस्य
68	74	श्रीमती नीलम शुक्ला	पार्षद / सदस्य
69	75	मोहम्मद उमर	पार्षद / सदस्य
70	76	श्री कौशिक बाजपेई	पार्षद / सदस्य
71	77	श्री अखिलेश कुमार बाजपेई	पार्षद / सदस्य
72	78	श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
73	79	श्री विकास जायसवाल	पार्षद / सदस्य
74	80	श्रीमती मधु यादव	पार्षद / सदस्य
75	81	श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य
76	82	श्रीमती रिचा द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
77	83	फरहा नाज	पार्षद / सदस्य
78	85	श्री अमनदीप सिंह	पार्षद / सदस्य

79	86	श्री कमलेश त्रिवेदी उर्फ दद्दा	पार्षद / सदस्य
80	87	श्री सतीश कुमार यादव	पार्षद / सदस्य
81	88	श्रीमती कंचन शुक्ला	पार्षद / सदस्य
82	89	श्री सुशील तिवारी	पार्षद / सदस्य
83	90	श्री आदर्श गुप्ता	पार्षद / सदस्य
84	92	श्री अवधेष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
85	93	श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
86	94	सय्यद अनवर अली	पार्षद / सदस्य
87	95	श्रीमती सौम्या शुक्ला	पार्षद / सदस्य
88	97	तबस्सुम अमीम	पार्षद / सदस्य
89	99	नूर जहां	पार्षद / सदस्य
90	101	श्री अभिषेक गुप्ता (मोनू)	पार्षद / सदस्य
91	102	श्रीमती निशा अकील शानू	पार्षद / सदस्य
92	103	फैजान रहमान	पार्षद / सदस्य
93	105	मो0 मेराज	पार्षद / सदस्य
94	106	श्री शिवम दीक्षित	पार्षद / सदस्य
95	107	श्री राशिद महमूद	पार्षद / सदस्य
96	109	श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य
97	110	मो0 नौशाद	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

01. श्री शिवशरणप्पा जी.एन. — नगर आयुक्त
02. श्री प्रतिपाल चौहान — अपर नगर आयुक्त
03. श्री जगदीश यादव — अपर नगर आयुक्त
04. श्री मनीष अवस्थी — मुख्य अभियन्ता ''सिविल''
05. श्री कृपा नन्द शुक्ला — मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
06. डा0 अजय संख्वार — नगर स्वास्थ्य अधिकारी
07. डा0 अमित सिंह — नगर स्वास्थ्य अधिकारी / प्रभारी अधिकारी वर्कशाप
08. श्री के0पी0आनन्द — प्रभारी महाप्रबन्धक ''जलकल''
09. श्री राजेश सिंह — सचिव नगर निगम

सर्वप्रथम वन्दे मातरम (राष्ट्रगीत) गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर नगर आयुक्त ने मा0 पार्षदगण, अधिकारी/कर्मचारी एवं मीडिया बन्धुओं का स्वागत करते हुए अपर नगर आयुक्त ''प्रथम'' को कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने को आदेशित किया।

श्री नवीन पंडित ने कहा कि मा0 महापौर जी व सम्मानित बन्धुओं महिला आरक्षण कानून लोकसभा में भारी मतों से पारित हो चुका है। मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को सदन से कोटि–कोटि धन्यवाद प्रस्ताव मा0 पार्षदगणों की ओर से प्रेषित करते है।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि मेरे वार्ड 52 गीता नगर का चयन मा0 मुख्यमंत्री जी की वार्ड में 24 घंटे जलापूर्ति सप्लाई योजना में चयन हुआ है, ऐसा संज्ञान में आया है। मेरे वार्ड में एक रामलीला पार्क है, जिसमें जेडपीएस बना है, साथ ही ओवर हेड टेंक भी बना है, किन्तु उक्त का पानी 03 किलोमीटर दूर रावतपुर गॉव में सप्लाई होता है। एक और जेडपीएस उसी रामलीला ग्राउंड में बनाया जा रहा है। जेडपीएस. बनाये जाने की एनओसी नगर निगम द्वारा दे दी गयी है। 50 साल से उक्त स्थान पर रामलीला हो रही है। यदि एक और जेडपीएस बन जायेगा, तो पार्क का अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। यदि रावतपुर में पानी सप्लाई होना है, तो रावतपुर में जेडपीएस बनाया जाये। इस योजना की नोडल एजेन्सी जल निगम है। यदि जेडपीएस बनाये जाने की एनओसी नगर निगम द्वारा दे दी गयी है, तो उसे निरस्त किया जाये, यदि नही दी गयी है, तो न दिया जाये।

मा0 अध्यक्ष द्वारा इस विषय में नगर आयुक्त से जानकारी चाही गयी, जिस पर नगर आयुक्त श्री शिवशरणप्पा जीएन द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि रामलीला ग्राउंड में दूसरा जेडपीएस बनेगा, तो उक्त का आगणन तैयार होकर मेरे पास ही आयेगा साथ ही जमीन कहॉ देना है यह भी देखा जायेगा। पार्क के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष ने कहा कि जिस वार्ड मे जलापूर्ति होनी वही जेडपीएस बनाया जाये। पार्क हमारे शहर के गौरव है, पार्को से पर्यावरण में सुधार होता है। गन फैक्टरी के सामने नमो वन अतिसुन्दर बना है।

श्री विकास जायसवाल ने कहा कि मा0 महापौर जी, नगर आयुक्त जी पालिका स्टेडियम में मल्टीस्पोर्टस काम्प्लेक्स बहुत सुन्दर बनाया गया है, जिसे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसकी सराहना की जानी चाहिए। नानाराव पार्क में अत्याधुनिक इनडोर तरणताल का सुन्दरीकरण कार्य भी अत्यन्त ही सराहनीय है। मेरे वार्ड के अन्तर्गत पार्षद कार्यालय में ए0सी0 लगवाने के लिये धन्यवाद। लोकसभा में पारित 35 प्रतिशत महिला आरक्षण के कानून के अनुसार कानपुर में भर्तियों में प्रभावी किया जाना चाहिए। कुछ कमियॉ भी है दिनांक 30 सितम्बर को प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मा0 पार्षदों की बैठक प्रमिला सभागार में आहूत की गयी थी, जिसमें तीनों नगर स्वास्थ्य अधिकारी अनुपस्थित थे। जब तक सफाई व्यवस्था में कड़ाई से कार्यवाही नहीं होगी, तब तक सुधार नहीं होगा।

अध्यक्ष ने कहा कि सदन में डॉ0 संध्या रानी के खिलाफ कार्यवाही के लिये कहा था। 02 अक्टूबर को गॉधी जयन्ती के दिन नहीं आयी थी, आपका नगर निगम में कार्य क्या है? नाला–नाली एवं सड़क की सफाई में क्या आवश्यकता है ? स्वच्छता मिशन के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार का निर्देश अखबारों में भी छपा था। नगर आयुक्त जी पिछले सदन में जो प्रस्ताव पास हो गये वह पास है और सफाई कर्मियों की भर्ती में जो खेल हो रहा है, उसे प्रातः में रजिस्टर चेक करूँगी, कहॉ झाडू लग रहा है। नगर आयुक्त जी दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से नवरात्र प्रारम्भ हो रहा है, इसलिये मन्दिरों की साफ –सफाई एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था दुरूस्त की जाये।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का 35 प्रतिशत महिला आरक्षण पारित करने के लिये धन्यवाद देता हूँ हमारे वार्ड में 40 महिला सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा महिला आरक्षण बिल भर्तियों में लागू किया जाना चाहिए।

श्री नीरज वाजपेई ने कहा कि सफाई कर्मियों की भर्ती में वित्तीय अनियमितता की जा रही है।

श्री अवधेश त्रिपाठी ने कहा कि मेरे वार्ड–92 में रू0 35 लाख की गृह कर वसूली के उपरान्त नगर निगम कोष में जमा न करने के प्रकरण में जॉच कमेटी गठित की गयी, शासन से पत्राचार भी किया गया, जॉच के क्रम में सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को बर्खास्त भी किया गया है, किन्तु गृह कर जमा करने वालों का अभी भी बिल में बकाया दिखा रहा है, जनता हमसे जवाब मांगती है, कृपया निस्तारण कराये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि हम लोगों को निर्वाचित होकर आये 05 महीने हो गये, किन्तु एक मार्ग प्रकाश की लाईट नहीं मिली। पुरानी लाईटें भी ठीक नहीं हो पा रही है। अतएव दीपावली को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक पार्षद के क्षेत्र हेतु 20–20 एलईडी लाईटे दी जाये।

श्री कौशिक वाजपेई ने कहा कि अभियन्त्रण विभाग के जो टेण्डर डाले जा रही है वह 40 से 45 प्रतिशत तक बिलों डाले जा रहे है क्षेत्र में में काम कैसे होगा ?

श्री नवीन पण्डित ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि 20 प्रतिशत से अधिक बिलों टेण्डर आने पर निरस्त किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

अध्यक्ष के बिलों टेण्डर के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराये जाने के निर्देश के क्रम में श्री मनीष अवस्थी, मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि पूर्व में 15 प्रतिशत से ज्यादा बिलो पर लाटरी होती थी, वर्तमान में यदि नियमों के अनुसार निरस्त किये जाने का नियम होगा, तो कार्यवाही होगी।

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 19

श्री नवीन पंडित, श्री सन्तोष साहू, श्री सौरभ देव, श्री भवनी शंकर राय, श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया, श्री राज किशोर यादव, श्री अरविन्द यादव, श्री वेद प्रकाश, श्री गोविन्द मोहन शुक्ला, श्री मनीष मिश्रा, श्रीमती नीलम बाथम, श्रीमती रिचा द्विवेदी, श्री नीरज कुमार गुप्ता, श्री आनन्द शुक्ला, श्री अमित गुप्ता, श्री अंकित मौर्या, श्री पवन गुप्ता, श्री अभिनव शुक्ला, श्रीमती विद्या देवी, श्रीमती कंचन शुक्ला, श्री अखिलेश कुमार वाजपेई, श्री गिरीश वाजपेई, श्री नीरज सिंह, श्री योगेन्द्र शर्मा, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्रीमती दीप्ति तिवारी, श्रीमती क्षमा शुक्ला, श्रीमती कविता, श्री सतीश यादव, श्री सुनील कुमार पासवान, श्री जितेन्द्र वाजपेई, श्री देवेन्द्र द्विवेदी, श्रीमती आरती गौतम, श्री अवधेश त्रिपाठी, श्री कौशल मिश्रा, श्रीमती वन्दना शर्मा, श्री नीरज रक्शेल, श्री विवेक शर्मा, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्रीमती दीप्ति तिवारी, श्रीमती ज्योति पासवान, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महपौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

नगर निगम कानपुर सदन चंद्रयान मिशन–3 की अभूतपूर्व सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करता है। पहली बार स्वदेशी तकनीकी से न्यूनतम बजट में इस अभियान की सफलता विश्व के लिये आश्चर्य का विषय है।

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत के चंद्रयान–3 की सफल लैंडिग तथा पूर्व निर्धारित अनुसंधानों की सफलता पर कानपुर नगर निगम का प्रत्येक नागरिक अभिभूत और गौरवान्वित है। इस हेतु मान्नीय प्रधानमंत्री जी तथा 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करने के लिये '**इसरो**' के सभी वैज्ञानिक बधाई के पात्र है।

मान्नीय प्रधानमंत्री जी द्वारा **23 अगस्त** को प्रतिवर्ष अंतरिक्ष दिवस मनाये जाने का निर्णय सराहनीय है। इससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधानरत वैज्ञानिकों में जहां उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होगा, वहीं नई पीढ़ी वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अपना करियर चुनने के लिए आकर्षित होगी।

चंद्रयान मिशन– 3 की सफलता पर कानपुर नगर निगम सदन ''**बर्रा बाईपास चौराहे से जरौली तक**'' जाने वाली सड़क का नामकरण ''**चंद्रयान –3 मार्ग'' एवं** चकेरी से एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग का नामकरण चंद्रयान–3 के लैडिंग स्थल शिवशक्ति के नाम पर ''**शिवशक्ति मार्ग**'' किये जाने का प्रस्ताव पारित करता है।

..........................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबुल प्रस्ताव सं0 –20

श्री नवीन पण्डित, श्री सौरभ देव, श्री आशुमेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कमलेश त्रिवेदी, श्री नीरज रक्शेल, श्री गोविन्द मोहन शुक्ला, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री पवन गुप्ता, श्री अवधेश त्रिपाठी, श्रीमती सौम्या शुक्ला, श्री नीरज वाजपेई, श्री राम नारायण, श्रीमती कंचन शुक्ला, श्री विकास जायसवाल, श्री मनीष मिश्रा, श्री महेन्द्र पाण्डेय, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्रीमती शुभा शुक्ला, श्री राज किशोर यादव, श्री पवन कुमार पाण्डेय, पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

संसद द्वारा महिलाओं के लिये संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षरण हेतु महिला शक्ति वंदन अधिनियम का पारित होने की घटना देश के इतिहार में सुनहरे अक्षरों में लिखी जायेगी। आने वाली हर पीढ़ी तक इस निर्णय की चर्चा होगी और इसके दूरगामी सुखद परिणाम होंगे।

हमारा नगर निगम यह सदन देश के यशस्वी मा0 प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी को हृदय की गहराईयों से बधाई देता है कि उन्होने 140 करोड़ की जनसंख्या में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाली मातृ शक्ति के लिये लोकसभा एवं प्रदेश विधानसभाओं में एक तिहाई सीटे आरक्षित करने का कानून लाया है, जिसके साथ कई वर्षो से महिलाओं के अधिकारों को लेकर हो रहे संघर्ष को विराम लगा है।

संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ ही महिलाओं के लिये मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरूआत हुई है। यह महज एक विधान नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत महिलाओं को श्रद्वांजलि है जिन्होने हमारे देंश के पुननिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है, जिससे महिलाओं की आवास को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जायेगा।

महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। बहुत वर्षो से चली आ रही मांग को पूरा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनियाभर में लैगिंग समानता और समावेशी शासन का एक शक्तिशाली संदेश दिया है। मा0 प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है।

संसद के दोनों सदनों द्वारा '' नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' के पारित होने के साथ ही हमारी महिलाओं को लंबे समय से लंबित अधिकार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़े है। हमारी नारी शक्ति ने पहले ही जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है और अब यह आवश्यक है कि वे कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भी बढ़–चढ़कर भाग लें तथा हमारे देश के अमृत विकास में योगदान दें। यह विधेयक न केवल विधायिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगा, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिऐ प्रेरित करेगा।

यह सदन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निरन्तर प्रयासों के लिये उनको हृदय की गहराईयों से धन्यवाद देता हूॅ तथा मा0 प्रधानमंत्री जी को महिलाओं के आरक्षण हेतु कानून लाने पर बधाई देता है। उनके नेतृत्व में देश इसी प्रकार अनवरत प्रगति करता रहें ऐसी शुभकामना है।

.... मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा पारित ''नारी शक्ति वंदन अधिनियम'' के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित किया गया।

टेबुल प्रस्ताव सं0 –21

प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

पत्रांक :– डी / 652 / कै0कै0 / 23–24 दिनांक :06.10.2023

मा0 सदन हेतु टेबल प्रस्ताव

नगर निगम क्षेत्र मे गौवंशो को पालकर व्यवसायिक रूप से दूध का व्यापार किया जा रहा है, जिनके मालिको द्वारा गौवंशो का दूध निकालकर पशुओ को सड़क पर खुला छोड़ देते है, जिससे सड़को पर दुर्घटनाये होने संभावना रहती है। गौवंशो से निकलने वाली गंदगी के निस्तारण हेतु पर्याप्त साधन/स्थान ना होने पर गंदगी को नालो/नालियो एवं सीवर में बहाया जाता है, जिस कारण नाले/नालियां एवं सीवर आये दिन जाम रहते है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में दो से अधिक गौवंशो को पालना प्रतिबंधित किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक गौवंशो को पालता है तो उसके विरूिद्व उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण, कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए प्रति गौवंश धनराशि रू0 10,000.00 जुर्माना लगाया जायेगा अन्यथा की स्थिति में पशुओ को जब्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

......................**तद्नुसार नियमानुसार जर्माना लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव सं0 –22

प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

पत्रांक :– डी/ 653 /कै0कै0/23–24 दिनांक : 09.10.2023

मा0 सदन हेतु टेबल प्रस्ताव

नगर निगम कानपुर सीमान्तर्गत बन्दरों की संख्या बढ जाने के कारण आम जनमानस को विभिन्न कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें पकड़ने हेतु विभिन्न माध्यमों ''आई0जी0आर0एस0 पोर्टल, कन्ट्रोल रूम, आम जनमानस की शिकायतों'' के साथ–साथ उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश दिये गये है। बन्दरो का आतंक बढ़ जाने से दुर्घटनाये भी बढ़ गयी है, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती है। वर्तमान में नगर निगम के पास बन्दरो को पकड़ने हेतु कोई भी दस्ता तैनात नहीं है एवं ना ही साधन उपलब्ध है। बन्दरों को पकड़ने का कार्य पूर्व से ही वन विभाग का रहा है परन्तु वन विभाग के संलग्न पत्र दिनांक 09 जनवरी 2023 के द्वारा बंदर पकड़ने के समस्त प्रकरणों को नगर निकायों को दे दिया गया है।

उपरोक्तानुसार नगर निगम सीमान्तर्गत आवारा बंदरो को पकड़ने के साथ–साथ बंदरो को वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थान पर छोड़ने की अनुमति मा0 सदन से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

......................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

टेबुल प्रस्ताव सं0 –23

श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया, पार्षद वार्ड–29 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर चिार किया जाना।

विषय : व्यायामशाला बनवाने के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि हमारे वार्ड–29 ओमपुरवा के अन्तर्गत शिव मन्दिर के बगल में नगर निगम की भूमि पर वार्ड की जनता के शारीरिक सुविधा हेतु एक व्यायामशाला बनवाने की कृपा करें।

..............**सन्दर्भित प्रस्ताव में उल्लिखित नगर निगम की भूमि के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी ''सम्पत्ति'' जॉच कर आख्या प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0 –24</u>

श्री अमित जायसवाल, पार्षद वार्ड –84 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : वार्ड 84 में सर्विस लेन के सम्बन्ध में।

निवेदन है कि वार्ड–84 जोन–3 जूही लाल कॉलोनी में लगभग 50 से 60 सर्विस लेन है जो कि पूरी तरह से मलवे व बड़े–बड़े पेड़ो से पट चुकी है। निवेदन करना है कि कृपया आपकी कृपा दृष्टि से इस पर कार्यवाही सुनिश्चित हो।

.................**स्थलीय निरीक्षण कराकर सर्विस लेन की सफाई कार्य करायें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0 –25</u>

श्रीमती सरोज कुमार चड्ढा, पार्षद वार्ड–48 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

अवगत कराना चाहती हॅू कि स्व0 अश्वनी चड्ढा पूर्व पार्षद व समाजसेवी व्यक्ति थे व समाज सेवी व्यक्ति थे क्षेत्र व समाज के लिये उनके द्वारा विगत कई वर्षो तक समाज व क्षेत्र के लिये उनका कार्य स्मरणीय है। अतः उनके इ स योगदान के लिये उनके नाम पर सी0टी0आई0 चौराहे से शास्त्री चौक होते हुए बाई पास तक की रोड का नाम उनके नाम पर कराने हेतु व ब्लाक 01 पार्क उनके नाम पर कर सुन्दरीकरण कराने हेतु निर्देशित करें।

....................**परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0 –26</u>

श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी ''धीरू' पार्षद, वार्ड –52 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : जोनल पम्पिंग स्टेशन का पार्क में निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना चाहता हॅू कि प्रदेश शासन द्वारा मेरे वार्ड का चयन वार्ड के प्रत्येक घर में 24 घन्टे पानी की सप्लाई योजना में हुआ है तथा उक्त योजना का प्रस्ताव वार्ड में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण होना है। ऐसा जानकारी में आया है कि उक्त जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण हेतु गीतानगर रामलीला पार्क का चयन नोडल एजेन्सी जल निगम द्वारा किया गया है तथा निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। जो कि अनुचित है क्योंकि पार्क में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन (ओवर हेड टैंक, अंडरग्राउंड टेंक) पहले से निर्मित है। जिसका पानी मेरे वार्ड को न मिलकर लगभग 3 कि0मी0 दूर रावतपुर गॉव को दिया जा रहा है। दूसरे पम्पिंग स्टेशन के निर्माण से पार्क समाप्त हो जायेगा, जबकि इस पार्क में विगत 40 वर्षो से रामलीला व दशहरा होता है तथा खेलकूद की गतिविधियॉ भी संचालित होती है। व स्थानीय लोग शादी ब्याह भी करते है।

अतः उक्त पार्क बचा रहे इसलिये नये जोनल पम्पिंग स्टेशन के निर्माण का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर जो पम्पिंग स्टेशन पहले से निर्मित है उसी का उपयोग उक्त योजना में किया जाये, इस हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

अध्यक्ष ने कहा कि जिस वार्ड मे जलापूर्ति होनी है वही जेडपीएस बनाया जाये, साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पार्को में 10 प्रतिशत भूमि ही अधिग्रहण का आदेश है, क्या इसका पालन किया गया है ? आख्या सहित अवगत करायें।

....................आख्या अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करें।

<u>टेबुल प्रस्ताव सं0 –27</u>

अधिशाषी अभियन्ता ''प्रोजेक्ट'' एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

पत्र संख्या– डी/1692/एए/पी/23–24 दिनांक 17.08.2023

कानपुर महानगर योजना–2021 के अन्तर्गत बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्पोर्टस स्टेडियम के भू–प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

<u>प्रस्ताव</u>

कृपया अवगत कराना है कि बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम जिसका क्षेत्रफल 32,300.76 वर्ग मीटर है। विगत कई वर्षो से स्पोर्टस स्टेडियम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उपरोक्त स्टेडियम के 3,453. 59 वर्ग मीटर भाग में पालिका स्टेडियम पर स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया गया है। पालिका स्टेडियम को नगर निगम द्वारा खेल संकुल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। कानपुर महायोजना –2021 में इसका भू–प्रयोग पार्क के रूप में अंकित है, अतः उपरोक्त के क्रम में भू–प्रयोग परिवर्तन हेतु परामर्श करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के भू–प्रयोग को स्पोर्टस काम्पलेक्स/स्टेडियम के रूप में परिवर्तन करने हेतु नगर निगम कानपुर को अपने स्वामित्व के समतुल्य क्षेत्रफल की अन्य भू–प्रयोग की भूमि को पार्क के रूप मे ंचिन्हित कर प्रतिपूर्ति करनी होगी।

कानपुर नगर निगम द्वारा अपने स्वयं के स्वामित्व की भूमि हेतु कई सीलों के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी, परन्तु जलकल परिसर में उपलब्ध लगभग 40,000.00 वर्ग मी0 की भूमि सर्वथा उपयुक्त पायी गई। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जलकल परिसर में एक 280 एम0एल0डी0 क्षमता का शोधन संयत्र स्थापित है, इसके अतिरिक्त कानपुर नगर की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 200 एम0एल0डी0 क्षमता के तीन जल शोधन संयत्र गंगा बैराज पर स्थापित किये गये है। इस प्रकार शहर में 880 एम0एल0डी0 क्षमता के जल शोधन संयत्र स्थापित है। उपलब्ध क्षमता शहर के अगले 30 वर्षो की आवश्यकतानुसार पर्याप्त है एवं परिसर में किसी नए शोधन संयंत्र की आवश्यकता नहीं है। परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि वर्तमान में खुली व अनुपयोगी है। अतः जलकल परिसर के अन्दर उपलब्ध समतुल्य क्षेत्रफल की भूमि का चयन किया गया है। बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम द्वारा आच्छादित भूमि क्षेत्रफल 32,600.76 वर्ग मी0 के भू–प्रयोग परिवर्तन करने एवं इस भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु जलकल मुख्यालय, बेनाझाबर में निष्प्रयोज्य पड़ी समान क्षेत्रफल की भूमि को हरित पट्टी/पार्क के रूप में भू–प्रयोग परिवर्तन किया जाना निम्नवत प्रस्तावित है :–

क्र0 सं0	भूमि का विवरण	भूमि क क्षेत्रफल	वर्तमानभू–प्रयोग महायोजन –2031 के अनुसार	प्रस्तावित भू–प्रयोग
01	बृजेन्द्र स्वरूप पार्क, ग्राम घुसरा मऊ आरा जी सं0 207, 235, 236 का जुज भाग	32,600.76 वर्ग मी0	आवासीय/पार्क	स्पोर्टस काम्पलेक्स/ स्टेडियम
02	जलकल मुख्यालय आराजी सं0 251 आरा जी सं0 239 घुसरा मऊ का जुज भाग	40,000.00 वर्ग मी0	वाटर वर्क्स	पार्क

अतः पालिका स्टेडियम द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल 32,300.76 वर्ग मीटर की भूमि का भू–प्रयोग परिवर्तन उपरोक्तानुसार करने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव सादर मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

...........................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

अध्यक्ष महोदया ने दिनांक 26.08.2023 को स्थगित बैठक तथा दिनांक 09.10.2023 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत प्रदान करने के लिये कहा।

.............**सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 26.08.2023 स्थगित बैठक तथा दिनांक 09.10.2023 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

अन्त में राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0 ....

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर